सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

लखनऊ अंचल की प्रस्तुति

सरकारी व्यवसाय

हार्दिक सुस्वागतम्

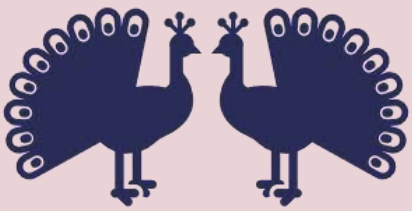

फील्ड महाप्रबंधक का संदेश

प्रिय साथियों ,

लखनऊ अंचल की सरकारी व्यवसाय **विषय पर लिखी गई हिन्दी पुस्तिका को आपके समक्ष प्रस्तुत करते** हुए मुझे हर्ष हो रहा है. उक्त **हिन्दी पुस्तिका** सरकारी व्यवसाय की एक झलक प्रस्तुत करती है .

समय के साथ-साथ बैंकिंग का स्वरूप बदल रहा है. किसी भी संस्था को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना स्वरूप बदलना पड़ता है ताकि वह प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व कायम रख सके और अपने व्यवसाय को बदलती हुई परिस्थितियों में स्थापित कर सके. वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ग्राहक की आवश्यकताएं निरंतर बदल रही हैं और ग्राहक एक ही स्थान या संस्था में कम से कम समय पर उचित सेवा प्रभार पर सेवाओं की मांग करते हैं और बहुत सी बैंकिंग संस्थाएं ऐसी सेवाएं ग्राहकों को प्रदान कर रही हैं. अत: बैंकिंग जगत में स्पर्धा में बने रहने के लिए हमें भी परम्परागत बैंकिंग से आगे बढ़ना होगा. इस प्रतिस्पर्धा के युग में जो व्यावसायिक संस्थान अपने अभिनव उत्पादों को बाजार में उतारते हैं वे आगे निकल जाते हैं.

इस पुस्तक में सरकारी व्यवसाय के अंतर्गत पीपीएफ, ईस्टांपिंग, सुकन्या समृद्धि खाता, भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कर संग्रहण , राष्ट्रीय पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिक जमा योजना , सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ,डी.बी.टी ,इंटरनेट बैंकिंग द्वारा विभिन्न जमा संग्रहण आदि विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। इस **पुस्तिका को तैयार करने में अंचल के सभी** राजभाषा अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। आशा है कि यह **पुस्तिका निश्चित ही पाठकों के लिए लाभप्रद होगी ।**
शुभकामनाओं सहित,

(एस. के . गुप्ता)
फील्ड महाप्रबंधक

सम्पादकीय

मेरे प्रिय सेंट्रलाइट साथियों,

लखनऊ अंचल की सरकारी व्यवसाय **विषय पर लिखी गई हिन्दी पुस्तिका को आपके समक्ष प्रस्तुत करते** हुए मुझे हर्ष हो रहा है.

इस पुस्तक में सरकारी व्यवसाय के अंतर्गत पीपीएफ, ईस्टांपिंग, सुकन्या समृद्धि खाता, भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कर संग्रहण , राष्ट्रीय पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिक जमा योजना , सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ,डी.बी.टी ,इंटरनेट बैंकिंग द्वारा विभिन्न जमा संग्रहण आदि विषयों के बारे में जानकारी दी गई है । उक्त **हिन्दी पुस्तिका** सरकारी व्यवसाय की एक झलक प्रस्तुत करती है . इस **पुस्तिका को तैयार करने में अंचल के सभी** राजभाषा अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। आशा है कि यह **पुस्तिका निश्चित ही पाठकों के लिए लाभप्रद होगी ।**

शुभकामनाओं सहित,

(संजय गुप्ता)
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**सरकारी व्यवसाय - परिचय**	6
2	वर्तमान परिदृश्य	7
3	**इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न संग्रह**	8
4	वर्तमान चुनौतियाँ एवं अवसर	8
5	**राष्ट्रीय पेंशन योजना**	9-15
6	पेंशन भुगतान	16-19
7	अटल पेंशन योजना	19-24
8	इंटरनेट बैंकिंग द्वारा विभिन्न जमा संग्रहण	25
9	कर संग्रहण एवं करों का वर्गीकरण	27
10	ओलटास (OLTAS)	28-38
11	सीबीडीटी (CBDT)	39
12	जीएसटी (GST)	40-41
13	भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड	42-43
14	सोवरेन गोल्ड बॉन्ड	43-46
15	वरिष्ठ नागरिक जमा योजना	47-53
16	सुकन्या समृद्धि खाता	54-63
17	ई-कस्टम	63-64
18	पीपीएफ	65-73
19	आईआरसीटीसी	74-76
20	ई-स्टांपिंग	77-81
21	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण	81-83

सरकारी व्यवसाय – परिचय

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), महारत्नों, नवरत्नों, मिनी-रत्नों और अन्य शीर्ष संस्थानों के साथ बोर्डों और मंत्रालयों के अंतर्गत अन्य सहयोगियों की जो वित्तीय एवं बैंकिंग आवश्यकतायें बैंकों द्वारा पूरी की जाती हैं। यही वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएँ तथा लेनदेन ही सरकारी व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार की बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंकों में अलग से एक सरकारी व्यवसाय विभाग होता है, जिसका कार्य बैंक में सरकारी व्यवसाय को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना, निगरानी रखना एवं संबन्धित बैंकिंग सेवाओं को बेहतर करना है।

सरकारी व्यवसाय का यह क्षेत्र बैंकों को समाज के विभिन्न वर्गों हेतु वित्तीय वितरण में सरकार के साथ साझेदारी करने का अवसर प्रदान करता है। यह बैंकों को सरकारी एजेंसियों को अत्यधिक लागत प्रभावी तरीके से जनता से बड़े पैमाने पर अपने राजस्व एकत्र करने के लिए समर्पित बैंकिंग मंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है। सरकारी व्यापार विभाग बैंकों के लिए कम लागत जमा प्राप्त करने में मदद करता है। यह बैंकिंग उत्पादों की क्रॉस सेलिंग में भी मदद करता है। यह बैंक के साथ विभिन्न सरकारी विभागों के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को जोड़ता है जो बैंकिंग सेवाओं की क्रॉस सेलिंग के लिए मंच प्रदान करता है।

सरकारी व्यवसाय

1. केन्द्र सरकार व्यवसाय

- कर संग्रहण (सीबीडीटी एवं सीबीईसी)
- विभागीय मंत्रालयिक खाते (डीएमए) Departmentalized Ministerial Accounts (DMA)
- नकद प्रबंधन सेवा
- रेलवे, डाक और दूरसंचार विभाग हेतु नकद प्रबंधन सेवा
- पेंशन भुगतान
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

2. राज्य सरकार व्यवसाय

- कर संग्रहण
- पेंशन भुगतान
- उपखजाना लेनदेन-
- ई – स्टाम्पिंग इत्यादि

3. अन्य

- पीपीएफ़
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
- भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)
- सुकन्या समृद्धि खाता
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इत्यादि (ईपीएफओ)

वर्तमान परिदृश्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सरकारी व्यवसाय के संचालन के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है और बदले में भारतीय रिजर्व बैंक हमारे बैंक को एजेंसी / टर्न ओवर कमीशन का भुगतान करता है। हम केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों / विभागों से मान्यता प्राप्त बैंकर हैं।

1. कपड़ा मंत्रालय
2. वाणिज्य मंत्रालय
3. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
5. डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय)
6. डीआईपीपी (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

केंद/सभी राज्य सरकारें विभिन्न सरकारी योजनाओं के अपने फंड को लाभार्थियों को हस्तांतरित करने के लिए या पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कार्यक्षमता विकसित करने की प्रक्रिया में पीएफएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं। इस प्रकार, बैंक में जमा प्रतिधारण की अवधि बहुत कम है जो हमारे कासा (CASA) जमा को प्रभावित करती है। वर्तमान में, हम आवश्यकता आधारित स्टैंडअलोन सेवा प्रदान कर रहे हैं, जबकि मंत्रालयों के विभिन्न विभाग अपनी सभी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए एकीकृत एवं पूरी तरह से सुरक्षित वन स्टॉप समाधान की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में, हम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए एक विशिष्ट संपर्क बिंदु (एसपीओसी या रिलेशनशिप मैनेजर) प्रदान नहीं कर रहे हैं।

लिंक शाखा (लिंक ब्रांच) : यह एजेंसी बैंक की एक शाखा है जो भारत भर में सभी फोकल प्वाइंट शाखाओं से डेटा समेकित (केंद्र सरकार) करती है और केंद्र सरकार के लेनदेन के लिए सीएएस, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर से टर्नओवर कमीशन का दावा करती है। हमारी लिंक शाखा नागपुर में स्थित है।

नोडल शाखा (नोडल ब्रांच) : यह एजेंसी बैंक की एक शाखा है जो उस राज्य में सभी फोकल प्वाइंट शाखाओं से डेटा समेकित (राज्य सरकार) करती है और भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित बैंकिंग विभाग (पीएडी) से राज्य सरकार के लेनदेन के लिए टर्नओवर कमीशन का दावा करती है। समान्यतः, प्रत्येक राज्य में एक नोडल शाखा होती है जो उस राज्य के पूरे सरकारी कामकाज को उस क्षेत्र के संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय को रिपोर्ट करती है।

फोकल प्वाइंट शाखाएं : ये वो शाखाएं हैं जो 'अन्य शाखाओं' से केंद्र और राज्य सरकार के व्यवसाय पर डेटा प्राप्त करती हैं। फोकल प्वाइंट शाखाएँ राज्य सरकार के डेटा को समेकित करती हैं और संबंधित राज्य की नोडल शाखा और केंद्र सरकार के डेटा को लिंक शाखा को प्रेषित करती हैं।

अन्य शाखाएँ : सभी शाखाएँ जो सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत हैं, 'अन्य शाखाएँ' कहलाती हैं।

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न संग्रह

1. विभिन्न कर संग्रह अप्रत्यक्ष कर/प्रत्यक्ष)/सीबीडीटीवैट/सीबीईसी/जीएसटी/ओल्टास/ कर आदि
2. आईआरसीटीसी
3. बिलों का भुगतान
4. ऑनलाइन खरीद
5. स्कूल कॉलेज/शुल्क संग्रह
6. पीपीएफसुकन्या किस्त/
7. विभिन्न शुल्क संग्रह) डीजीएफटी, ईपीएफओ, पीएफएमएस, आईसीएसई, सीबीएसई, पीएमएनआरएफ, पीएम केयर्स फंड, डीडीए,आईआईएमसी, एएलएलईएन एएडीआई

नोट-:बैंक प्रत्येक लेनदेन के लिए कमीशन कमाता है।

वर्तमान चुनौतियाँ एवं अवसर

हम देख रहे हैं कि अधिकांश उद्योग डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें दोनों छोर के अंत बिन्दु तक एकीकृत (एंड तू एंड इंटिग्रेटेड) समाधान की आवश्यकता होती है जो उनकी सभी बैंकिंग जरूरतों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित समाधान के रूप में उपलब्ध हो।

वर्तमान में, हमारे बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी एजेंसियों को विशेष मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। अन्य बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, हमें सरकारी व्यवसाय के लिए निम्नलिखित सुविधाओं के साथ एक एकीकृत समाधान की आवश्यकता है :

- निधि प्रबंधन
- ग्राहक प्रबंधन (सरकारी और गैर-सरकारी संगठन)
- तृतीय पक्ष ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) समाधान के साथ एकीकरण
- बैंक की ओर से सभी सरकारी व्यवसायों के समेकित दृश्य के लिए डैशबोर्ड
- निधियों के उपयोग की रीयल-टाइम निगरानी के लिए संस्थाओं हेतु डैशबोर्ड
- एमआईएस रिपोर्टिंग
- स्वचालित समाधान मॉड्यूल
- विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन
- डेटा निकालना

इस तरह के मंच के साथ, बैंक अधिकांश सरकारी मंत्रालयों/विभागों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके अधिक व्यवसाय अर्जित कर सकता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

पेंशन की योजना द्वारा वृद्धावस्था के दौरान उस समय वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व दिया जाता है, जब लोगों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता है। सेवा निवृत्ति योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के पास प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने और अपनी उम्र के बढ़ते वर्षों में अपना जीवन स्तर किसी समझौते के बिना अच्छा बनाए रखने की सुविधा हो । पेंशन योजना से लोगों को निवेश करने और अपनी बचत संचित करने का अवसर मिलता है जो सेवानिवृत्ति के समय वार्षिक योजना के रूप में एक नियमित आय के तौर पर उन्हें एक मुश्त राशि दे सके ।

पेंशन भुगतान से बैंक को लाभ :

पेंशन भुगतान में 75 प्रतिशत प्रति ट्राजेक्शन बैंक को नॉन इनकम इन्ट्रेस्ट इनकम मिलती है जिससे ऑपरेशनल प्रोफिट में बृद्धि होती है पेंशन लोन देकर लोन पोर्ट फोलियो भी बढता है । बैंक का डिपोजिट भी बढता है । पेंशन भुगतान से बैंक से जुडे पेशनर की वजह से बैंक से अन्य ग्राहकगण भी जुडते हैं । जिससे बैंक का ग्राहक आधार भी बढता है ।

- सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा को 40 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है ।
- फाइनेंस मिनिस्टर ने NPS ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) से अलग करने का फैसला लिया है ।
- सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के खातों में योगदान की सीमा को 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का भी प्रस्ताव किया गया है ।
- मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कोई भी NPS योजना से लाभन्वित कर्मचारी को रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है ।
- सेक्शन 80CCE के तहत ग्राहक 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
- एन्युटी की खरीद में निवेश की गई राशि को भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है ।

भारत सरकार ने पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए 10 अक्तूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा स्थापित की गई। यह एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है। यह योजना सरकारी कर्मचरियों के हित के लिए खोली गई है, जिससे जब भी कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति हो तो उन्हें इस योजना के तहत पेंशन दी जायेगी, जिससे कि भविष्य में उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यह योजना उस व्यक्ति विशेष को आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। एनपीएस का लक्ष्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत को बढ़ावा देना है ।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति के लिए असंगठित क्षेत्र को स्वैच्छिक बचत को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बचत 2010-11 में एक सह अंशदान पेंशन योजना 'स्वावलम्बन योजना' - आरंभ की। स्वावलम्बन योजना के तहत सरकार प्रत्येक एनपीएस अंश दाता को 1000 रुपए की राशि प्रदान करती है जो न्यूनतम रुपए 1000 /- और अधिकतम रुपए 12000/- का अंश दान प्रति वर्ष करती है। यह योजना वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लागू रही थी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System (NPS)) भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक पेंशन-योजना (रिटायरमेंट सेविंग स्कीम) है एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है । एनपीएस को ई-ई-ई (EXEMPT- EXEMPT- EXEMPT) यानी अंशदान पर-निवेश-प्रतिफल और निकासी तीनों स्तर पर कर में छूट है जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजनाओं में है । एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा कोष में से 60 प्रतिशत राशि निकालने का पात्र होता है । शेष 40 प्रतिशत जुड़ी हुई राशि पेंशन योजना में चली जाती है । यह 01 जनवरी 2004 से आरम्भ हुई थी । यह योजना आरम्भ में एनपीएस सरकारी नौकरी में भर्ती होने वाले नए व्यक्तियों (सशस्त्र सेना बलों के अलावा) के लिए आरंभ की गई थी । 1 मई 2009 से यह स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है । इस योजना के सहारे सरकार ने स्वयं को पेंशन की जिम्मेदारी से मुक्त करने की कोशिश की है । सरकार की भूमिका केवल शुरुआती दौर में बराबर के अंशदाता के रूप में है । नौकरी पेशा कर्मचारी और सरकार के अंशदान से संचित राशि निश्चित वित्तीय संस्थानों को मिलती है जिसका वे दिए गए निर्देशों के तहत प्रबंधन करते हैं।

इस योजना को 10 दिसंबर 2018 से, भारत सरकार ने एनपीएस से पूरी राशि को निकासी पर कर मुक्त कर दिया है। एनपीएस के स्तर - 2 के तहत योगदान 80 सी के तहत कर मुक्त के लिए कवर किया गया है। आयकर लाभ के लिए 1.50 लाख, बशर्ते तीन साल की लॉक-इन अवधि होनी आवश्यक है। एनपीएस में किए गए परिवर्तन को आयकर अधिनियम, 1961 में हुए बदलाव के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जो 2019 के केंद्रीय बजट में वित्त विधेयक के माध्यम से हो गया है। एनपीएस सीमित अवधि के लिए है, 60% की सीमा तक, एवं 40% को अनिवार्य रूप से वार्षिकी (annuity) खरीदने के लिए उपयोग किया जाना है, जो लागू कर स्लैब पर कर योग्य है। इसकी देखरेख पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की ओर से की जाती है।

देश का कोई भी नागरिक (जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो) अपने सेवानिवृत्त के लिए इस योजना में निवेश कर सकता है। उसे इस योजना का लाभ सेवानिवृति यानी 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही आप अपना खाता बंद कर सकते हैं अर्थात लाभ मिलता है । इस दौरान अपनी निवेश की गई राशि से कुछ पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकी बचे पैसों से आपको एक वार्षिकी उत्पाद (एन्यूटी प्लान) खरीदना पडता है। उसी एन्यूटी प्लान के हिसाब से निवेश करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में मिलने लगती है।

एनपीएस खाता खुलाने का तरीका

देश के लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों में प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस बनाए गए हैं, जहां एनपीएस खाता खुलवाया जा सकता है । इस योजना के तहत दो तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, जो निम्न प्रकार है : टीयर -1 खाता , और टीयर - 2 खाता

टीयर – 1 खाता : यह सेवानिवृत्त की बचत के लिए बनाया गया खाता हे इस खाते में निवेश की गई राशि को कभी भी निकाला नहीं जा सकता है । 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। यह अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 500 रुपये धनराशि की जरूरत होती है और इसके तहत न्यूनतम 500 रुपये का मासिक योगदान दिया जा सकता है। टीयर -2 खाता : यह एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है । इन खातों में निवेश को किसी भी समय निकाला जा सकता है। यह एक साधारण सेविंग अकाउंट की तरह है। यह अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये धनराशि की जरूरत होती है और इसके तहत न्यूनतम 250 रुपये का मासिक योगदान दिया जा सकता है ।
एनपीएस में निवेश की गई राशि का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण करता है । इससे पंजीकृत और निर्देशों पर चलने वाले फंड मैनेजर ही इस फंड का प्रबंधन करते हैं। इनमें आईसीआईसीआई प्रू पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड और रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड प्रमुख हैं।

लचीला - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक उचित तरीके से निवेश के विकास की योजना के लिए निवेश विकल्प एवं पेंशन निधि (पीएफ) के चुनाव की विभिन्नता प्रदान करता है और पेंशन निधि के विकास पर नजर भी रखता है। अभिदाता एक निवेश विकल्प से अन्य में जा सकता है या एक फंड मैनेजर से अन्य में जा कर सकता है।

सरल - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के साथ खोला गया खाता एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्रदान करता है, जो एक अद्वितीय संख्या है और यह अपने जीवनकाल के दौरान अभिदाता के साथ रहता है। योजना दो स्तरों में संचालित होती है।

स्तर - I खाता : वह खाता है जिसमें यह एक गैर-आहरण स्थायी सेवानिवृत्ति खाता है जिसमें अभिदाता द्वारा नियमित अंशदान क्रेडिट किया जाता है और अभिदाता के चुने गए पोर्टफोलियो/निधि प्रबंधक के अनुसार निवेश किया जाता है।

स्तर - II खाता : यह एक स्वैच्छिक आहरण खाता है जो केवल तभी अनुमोदित किया जाता है, जब अभिदाता के नाम पर टीयर – I खाता सक्रिय हो । इस खाते से निकासी की अनुमति अभिदाता की जरूरत के अनुसार दी जाती है।

सुवाहय - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नौकरियों एवं स्थानों में सहज सुवाह्यता प्रदान करता है। यह निधि निर्माण को पीछे छोड़े बिना अभिदाता के नई नौकरी/स्थान पर स्थानांतरण के समय, हर अभिदाता के लिए परेशानी मुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराता है, जैसा कि भारत की विभिन्न पैंशन योजनाओं में होता है

अच्छे से विनियमित - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को पारदर्शी निवेश नियमों, नियमित निगरानी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निधि प्रबंधकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खाता रखरखाव लागत दुनिया भर के समान पेंशन उत्पादों की तुलना में सबसे कम है। हालांकि सेवानिवृत्ति जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए बचत करते समय, लागत बहुत मायने रखती है क्योंकि प्रभार निवेश 35-40 से अधिक वर्षों की अवधि में निधि से एक महत्वपूर्ण राशि कट सकती है।

कम लागत और चक्रवृद्धि की शक्ति का दोहरा लाभः सेवानिवृत्ति तक, पेंशन धन संचय एक समझौता प्रभाव के साथ समय की अवधि से अधिक बढ़ता है। खाते के रखरखाव शुल्क कम होने के कारण, अभिदाता के लिए संचित पेंशन धन के लाभ बड़े जाते हैं।

उपयोग में आसानीः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता ऑनलाइन प्रबंधनीय है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता को ई-एनपीएस पोर्टल के माध्यम से खोला जा सकता है। इसके अलावा, योगदान ई-एनपीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

एक बार पीआरएएन खाता खोलने के बाद, ऑनलाइन लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभिदाताओं को दिया जाता है । अभिदाता एक क्लिक पर अपने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते को ऑनलाइन लॉगिन एवं प्रबंधित कर सकता है।

दिसंबर 2018 में भारतीय कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि नेशनल पेंशन स्कीम को निवेशकों के लिए ओर ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। वर्ष 2004 में जब NPS को शुरू किया गया था उस समय कर्मचारी को अपने मूल वेतन (बेसिक सैलरी) तथा महंगाई भत्ते का 10% का योगदान नेशनल पेंशन स्कीम में करना होता था । दिसंबर 2018 मे केंद्र सरकार ने इस योगदान को बढ़ाकर 14% कर दिया तथा कर्मचारी का योगदान 10% कर दिया है ।

इस अद्यतन के पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में काफी इजाफा हुआ है।

दिसंबर 2018 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किये गए अद्यतन में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय कर (टैक्स) से संबंधित था, इससे पहले, NPS की परिपक्वता (मैच्यूरिटी) पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन फण्ड में जमा राशि का 60% निकाल सकते थे जिसमें 40% राशि करमुक्त (Tax Free) होती थी और 20% पर कर

(Tax) लगता है । इसमें किये गये नये अद्यतन के अनुसार 60% राशि को करमुक्त (टैक्स फ्री) कर दिया गया है।

तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव निवेश को लेकर हुआ है। इसमें अब कर्मचारियों को यह पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि उनके द्वारा पेंशन में योगदान किया गया पैसा किस फण्ड में निवेश हो वह स्वयं चुन सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी वर्ष में एक बार पेंशन फण्ड या इक्विटी को अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकते है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लाभ :

यह पारदर्शी है - एनपीएस पारदर्शी और लागत प्रभावी प्रणाली है जिसमें पेंशन के अंशदन का निवेश पेंशन निधि योजनाओं में किया जाता है और कर्मचारी दैनिक आधार पर निवेश का मूल्य जान सकते हैं।

यह सरल है - सभी अभिदाताओं को अपने नोडल कार्यालय में खाता खोलना होता है और एक स्थाय सेवा निवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) लेना होता है।

यह अंतरण योग्य है - प्रत्येक कर्मचारी को एक विशिष्ट संख्या से पहचाना जाता है और उसकी एक पृथक पीआरएएन होती है जो अंतरण योग्य है, अर्थात् यह कर्मचारी के किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित होने पर भी समान बनी रहती है।

यह विनियमित है - एनपीएस का विनियमन पारदर्शी निवेश मानकों के साथ पीएफआरडीए- बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं द्वारा तथा एनपीएस न्यास- बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं द्वारा निधि प्रबंधक की नियमित निगरानी और निष्पादन समीक्षा के साथ किया जाता है।

कर लाभ :

वर्तमान में टायर 1 खाते में किए गए अंशदान के लिए कर उपचार में छूट है - छूट प्राप्त कर (ईईटी) अथात् संपूर्ण अभिदान राशि पर 1.00 लाख रुपए की सीमा तक सकल कुल आय से कटौती की पात्रता है (अन्य निर्दिष्ट निवेशों के साथ) धारा 80सी के अनुसार (आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जाता है)।

वार्षिकी खरीदने के लिए अभिदाता द्वारा प्रयुक्त राशि और अभिदान पर मूल्य वृद्धि का योग्य नहीं है। एक अभिदाता द्वारा केवल साठ वर्ष की आयु के बाद आहरित राशि ही कर योग्य है।

नई पेंशन योजना के मुख्य बिंदु एवं ढॉचा :

भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत की गई एवं इसका प्रबंधन पीएफआरडीए (पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण), जो कि हमारे देश में

पेंशन निधि का नियामक है, के द्वारा किया जा रहा है। अभिदाता की उम्र 60 वर्ष होते ही वृद्धावस्था आय को वार्षिकी अर्थात पेंशन के माध्यम से सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है।

विनियामक और एनपीएस की इकाइयां :

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) : पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)- बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना भारत में पेंशन बाजार के विकास और विनियमन हेतु की गई है।

उपस्थिति के बिंदु (पीओपी) : उपस्थिति के बिंदु (पीओपी) एनपीएस संरचना के साथ अंत:क्रिया के प्रथम बिंदु हैं। एक पीओपी की अधिकृत शाखाएं उपस्थिति के बिंदु सेवा प्रदाता (पीओपी - एसपी) संग्रह बिंदु के रूप में कार्य करेंगे और एनपीएस अभिदाता को अनेक ग्राहक सेवाएं प्रदान करेंगे। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)- बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, निजी वित्तीय संस्थानों और डाक विभाग- बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं सहित नागरिकों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खोलने के लिए उपस्थिति के बिंदु (पीओपी) के रूप में 58 संस्थानों को अधिकृत किया है।

केंद्रीय अभिलेखन एजेंसी (सीआरए) : एनपीएस के सभी अभिदाताओं के अभिलेखों के रखरखाव और ग्राहक सेवा कार्य नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)- बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं द्वारा संभाले जाते हैं, जो एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेख रखरखाव केंद्र के रूप में कार्य करता है ।

केंद्र सरकार के कर्मचारी :

एनपीसी केंद्रीय सरकार सेवा (सशस्त्र सेनाओं के अलावा) के तथा 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी नए कर्मचारियों पर लागू है। अन्य कोई सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है, वह भी उपस्थिति बिंदु सेवा प्रदाता (पीओपी - एसपी) के माध्यम से "सभी नागरिक मॉडल" के अंतर्गत भी अभिदान कर सकता है।

अभिदान की प्रक्रिया
एनपीएस में अभिदान
आहरण

राज्य सरकार के कर्मचारी :

एनपीएस राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, जो संबंधित राज्य सरकारों की अधिसूचना की तारीख के बाद द्वारा राज्य स्वायत्त निकायों सेवाओं में शामिल होते हैं। अन्य कोई सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के तहत अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है, वह भी उपस्थिति बिंदु सेवा प्रदाता (पीओपी - एसपी) के माध्यम से "सभी नागरिक मॉडल" के तहत भी अभिदान कर सकता है।

कॉर्पोरेट

कॉर्पोरेट जगत में निवेश का विकल्प चुनने की नम्यता है और वे अपने सभी अभिदाताओं के लिए अभिदाता स्तर पर या नैगम स्तर पर केंद्रीय रूप से इसे अपना सकते हैं। कॉर्पोरेट या अभिदाता 'सभी नागरिक मॉडल' के तहत उपलब्ध पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं में से किसी एक को चुन सकते हैं और साथ ही विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में आबंटित निधियों का प्रतिशत चुन सकते हैं।

भारत के सभी नागरिक चाहे वे निवासी हों या अनिवासी 18 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक उपस्थिति बिन्दु (पीओपी) / उपस्थिति बिन्दु - सेवाप्रदाता (पीओपी- एसपी) एनपीएस में आवेदन जमा करने की तिथि से एनपीएस में शामिल हो सकते हैं।

स्वावलंबन योजना - असंगठित क्षेत्र के कामगार

भारत के नागरिक अपने आवेदन जमा करने की तिथि के समय 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होने चाहिए, जो असंगठित क्षेत्र के है या जिनके पास केंद्र अथवा राज्य सरकार में नियमित रोजगार नहीं है या वे केंद्र या राज्य सरकार के एक स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कार्यरत है तो वे एनपीएस - स्वावलंबन-बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं खाता खोल सकते हैं। एनपीएस - स्वावलंबन खाते के अभिदाता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नहीं आने चाहिए जैसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948, सीमेंस भविष्य निधि 1966 और असम चाय बागान भविष्य निधि तथा पेंशन निधि योजना अधिनियम, 1955 और जम्मू और कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1961

प्रभार :

टायर 1 खाते के जुड़े सभी प्रभारों सहित वार्षिक पीआरए रखरखाव प्रभार का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है। टायर 2 के खाते के मामले में सक्रियण प्रभार और लेनदेन प्रभार का भुगतान अभिदाता द्वारा किया जाता है।

पेंशन भुगतान

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शामिल केन्द्र सरकार के कार्मिकों की पेंशन एवं सेवानिवृति लाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए नोडल विभाग है । केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी नीति तैयार करने के अलावा यह विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी तत्पर रहता है और पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा करने वाले मंच के रूप में कार्य करता है ।

तथापि, रेलवे और रक्षा मंत्रालय की स्वयं की स्वतंत्र प्रशासनिक संरचना होने के कारण वहां के पेंशनभोगियों पर उनके संबंधित पेंशन नियम प्रभावित होते हैं । कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम 1950 से संलग्न अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों / अन्य प्रतिष्ठान के वर्ग से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारी, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रशासित कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आते हैं । इसके अलावा, उन लोगों की पेंशन संबंधी मामलों की देखरेख नई पेंशन योजना के तहत वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा की जा रही है जिन्होंने दिनांक 1.1.2004 को या इसके बाद केन्द्र सरकार में कार्यभार ग्रहण किया है ।

बैंक राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की नींव होती है। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

प्राधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के पेंशनरों को पेंशन के भुगतान की योजना :

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियोंको पेंशन का भुगतान, जिसमें मूल पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत (डीआर), और सरकारों द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य लाभ शामिल हैं और यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा तैयार किए संबंधित योजना से संचालित होते हैं। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ अनुदेश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2021 के एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण से संबंधित मास्टर परिपत्र में उपलब्ध है।भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रश्न और उत्तर के रूप में निम्नानुसार है।

1. **क्या पेंशनर की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा धारित संयुक्त खाता परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है?**

   हां, बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए । यदि उत्तरजीवी जीवनसाथी (पति/पत्नी) के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में परिवार पेंशन के लिए प्राधिकार उपलब्ध है तो इस उद्देश्य से परिवार पेंशनर द्वारा नया खाता खोले बिना वर्तमान खाते में ही परिवार पेंशन जमा किया जाना चाहिए।

2. **भुगतान करने वाली शाखा द्वारा पेंशनर के खाते में, पेंशन कब जमा की जाती है?**

पेंशन का भुगतान करनेवाले बैंकों द्वारा पेंशनरों के खातों में पेंशनराशि को पेंशन भुगतान प्राधिकारियों (Pension Paying Authorities) द्वारा दिए गए अनुदेश के आधार पर जमा किया जाता है।

3. क्या पेंशन भुगतानकर्ता बैंक, पेंशनर के खाते में किए गए अधिक भुगतान की वसूली को वसूल कर सकता है?

(अ) एजेंसी बैंको से अनुरोध है कि, वे पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त कर लें।
(ब) जहां कहीं भी बैंकों द्वारा की गयी गलती के कारण अधिक पेंशन का भुगतान हुआ हो ऐसे मामलों में भुगतान की गई अधिक राशि का पता चलने के तुरंत बाद और पेंशनरों से किसी भी प्रकार की राशि की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल एक मुश्त सरकार को वापस किया जाए।

4. **क्या पेंशनरों से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर पेंशन अदाकर्ता बैंक द्वारा पेंशन पर्ची दी जाती है?**

ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि पेंशन भुगतानकर्ता शाखाओं के काउंटर पर जमा किए गए जीवन प्रमाणपत्र गुम हो जाते हैं जिसके कारण मासिक पेंशन के भुगतान में देरी होती है। पेंशनरों द्वारा सामना की जा रही मुश्किलों को कम करने के लिए, एजेंसी बैंकों को निर्देश दिया गया था कि वे जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से पावती दें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे जीवन प्रमाणपत्र की प्राप्ति को अपने सीबीएस में भी दर्ज़ करें और यंत्रजनित पावती भी दें जिससे पावती और रिकार्डों को तत्काल अद्यतन कर देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाएगी।

5. **पेंशन भुगतान में से स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए कौन जिम्मेदार है?**

पेंशन भुगतानकर्ता बैंक आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर, पेंशन राशि से आयकर की कटौती हेतु जिम्मेदार है।

6. **यदि पेंशनर, हस्ताक्षर करने या हाथ/पैर का अंगूठा लगाने या बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो क्या वह अपने खाते से पेंशन आहरण कर सकता है?**

हाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पेंशन वितरण के लिए पेंशन भुगतानकर्ता बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे नीचे दी गई कुछ प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पेंशन की आहरण की अनुमति दें :

बूढ़े/बीमार/अशक्त/अक्षम पेंशनरों द्वारा पेंशन का आहरण

(i) बीमार और अशक्त पेंशनरों द्वारा बैंकों से पेंशन/परिवार पेंशन आहरित करने में आ रही समस्याओं/कठिनाइयों को ध्यान में रखने के क्रम में एजेंसी बैंक ऐसे पेंशनरों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(ए) पेंशनर, जो इतना बीमार है कि चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता / बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है ।

(बी) पेंशनर, जो न केवल बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि कुछ शारीरिक दोष/अक्षमता के कारण चेक/आहरण फार्म पर अपने हस्ताक्षर करने/अंगूठा का निशान लगाने में भी असमर्थ है।

(ii) ऐसे बूढ़े/बीमार/अक्षम पेंशनरों को ध्यान में रखते हुए उनके खातों के परिचालन के लिए बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं:-

(ए) जहाँ कहीं बूढ़े/बीमार पेंशनर का हाथ का अंगूठा/ पैर का अंगूठा का निशान प्राप्त किया जाए तो इसकी पहचान बैंक को ज्ञात दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए और इसमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए।

(बी) जहाँ पेंशनर अपने हाथ का अंगूठा/पैर का अंगूठा का निशान नहीं लगा सकता और बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में भी अमसर्थ है तो चेक/आहरण फार्म पर एक निशान लिया जाए और दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा इसकी पहचान की जानी चाहिए और इसमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए।

एजेंसी बैंकों से अनुरोध है कि वे अपनी शाखाओं को यह अनुदेश दें कि वे इस संबंध में जारी अनुदेश अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें ताकि बीमार और अक्षम पेंशनर इन सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें।

7. **पेंशनरों को संशोधित दर पर महंगाई राहत का भुगतान कैसे होता है?**

पेंशन अदाकर्ता एजेंसी बैंक को डाक, फैक्स, ई-मेल से सरकार द्वारा दी गई सरकारी आदेशों की प्रतियां या संबंधित सरकारों के वेबसाइट का एक्सेस कर प्राप्त जानकारी के आधार पर मंहगाई राहत को संशोधित किया जाता है और पेंशन अदाकर्ता शाखाओं को प्राधिकृत किया जाता है कि वे पेंशनरों को तत्काल भुगतान करें।

8. **क्या पेंशनर, पेंशन/बकाया पेंशन विलंब से जमा किए जाने पर एजेंसी बैंकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं :**

हां, पेंशन अदाकर्ता बैंक पेंशन/ बकाया पेंशन के देरी से जमा होने पर प्रतिवर्ष 8% की निर्धारित दर से भुगतान की नियत तिथि के बाद विलंब होने पर क्षतिपूर्ति करेगी। यह क्षतिपूर्ति दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 के बाद के सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के मामले में पेंशनरों के खाते में उसी दिन पेंशनर से दावे की प्रतीक्षा किए बिना स्वत: जमा हो जाएगी, जिस दिन संशोधित पेंशन/पेंशन बकाया से संबंधित राशि बैंक को प्राप्त होती है

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना की शुरुवात 1 जून 2015 को की गयी। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी भारतीय उठा सकते हैं । इस योजना के तहत आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन के लिए बस प्रति माह 210 रुपये जमा करने होंगे. इस तरह से ये योजना अच्छी लाभ वाली योजना है।

अपनी लेनदेन का विवरण देखने के लिए लाभार्थी अटल पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकता हैं। इस वेबसाइट पर जाकर उन्हें लॉग इन करना होगा। जिसके लिए उन्हें अपने पीआरएएन (PRAN) और बचत बैंक खाते की डिटेल देनी होगी। यदि पीआरएएन (PRAN) नंबर नहीं है तो लाभार्थी अपने नाम, खाता तथा जन्म तिथि के माध्यम से भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता है।

यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। भारत सरकार इसके तहत मिलने वाले पेंशन से जुड़े लाभों की गारंटी देती है। इस पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चहिए। अटल पेंशन योजना के तहत आप कम पैसे जमा करके हर महीने पेंशन के हकदार हो सकते हैं।

इसके तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है. इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है।

अटल पेंशन योजना : अगर आपने अब तक कोई पेंशन प्लान नहीं लिया है और आप ऐसा प्लान चाहते हैं जिसमें आपको कम रुपए देकर पेंशन पाने के हकदार बन जाएं तो केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना आपके लिए सही रहेगी। इसके तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है. इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है।

अटल पेंशन योजना के लिए कौन - कौन आवदेन कर सकता है :

1. कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
2. न्यूनतम उम्र 18 वर्ष
3. अधिकतम उम्र 40 वर्ष
4. इस योजना को लेने के लिए बैंक में या डाकखाने में बचत खाता होना चाहिए।
5. एक व्यक्ति सिर्फ एक अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

अटल पेंशन योजना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें :

1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
2. किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आपके नाम का कवर नहीं होना चाहिए।
3. वे सरकारी कर्मचारी जो इपीएफ (EPF) योजना में शामिल है, इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
4. 31 मार्च 2016 से पहले जो लोग इस योजना में शामिल हुए हैं उनको सरकार 50% सह योगदान करेगी। जो लोग इस तारीख के बाद इस योजना में शामिल हुए हैं उन्हें सरकार की तरफ से कोई सह योगदान नहीं मिलेगा।

अटल पेंशन योजना खाता कैसे खोलें :

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक में "अटल पेंशन योजना" के लिए आवेदन कर सकते हैं ।यह योजना सभी सरकारी बैंकों में यह योजना उपलब्ध है । यह योजना लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए । आप अपनी आमदनी के अनुसार निश्चित धनराशि की किस्त चुन सकते हैं।

अटल पेंशन योजना" की क़िस्त जमा करने का तरीका :

"अटल पेंशन योजना" की क़िस्त का भुगतान मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक किस्तों में किया जा सकता है। ऑटो डेबिट (Auto- debit) सुविधा से किस्त आपके बैंक अकाउंट से समय पर कट जाती है। किस्त को समय पर जमा करना जरूरी है।

यदि क़िस्त के समय खाते में पैसा नहीं होता है तो यह पैसा अगले महीने जुर्माने के साथ काट लिया जाता है । 100 रूपये पर 1 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है । इसलिए निवेशक को अपने बैंक खाते में क़िस्त की रकम अवश्य रखनी चाहिए ।

अटल पेंशन योजना लेने के बाद क्या पेंशन राशि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है?

अटल पेंशन योजना में पंजीकरण करने के बाद पेंशन राशि को वर्ष में एक बार अप्रैल के महीने में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पर सभी बदलाव 60 वर्ष की आयु से पहले होने चाहिए। 60 वर्ष की आयु के बाद किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है।

अटल पेंशन योजना के फायदे :

- इस योजना से वृद्ध लोग को एक निश्चित पेंशन मिल जाती है, जिससे उनकी मदद हो जाती है।
- यह योजना आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है।
- 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक यह पेंशन मिलती है।
- निवेशक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को पेंशन मिलती है।
- इस योजना की सभी किस्ते समय पर जमा करने से अधिक पेंशन प्राप्त होती है।

अटल पेंशन योजना से टैक्स बेनिफिट :

हां, इस योजना से 80 CCD (1) और 80 CCD (1B) के अंतर्गत बेनिफिट सेक्शन मिलता है एवं यह योजना अभी भी चालू है।

"अटल पेंशन योजना" में निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो इस योजना में 2 विकल्प है- निवेशक का पति / पत्नी (नॉमिनी) इस योजना को जारी रख सकते हैं। तथा वे 60 वर्ष की अवधि पूरा होने तक इस योजना को चला सकते हैं। और जमा की हुई धनराशि को निकाल सकते हैं।

अटल पेंशन योजना में, वृत्ति फंड में किए गए प्रत्येक योगदान के लिए पर केंद्र सरकार के कुल योगदान का 50% सह-योगदान भी करेगी या ₹ 1000 (यूएस $ 16) प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिए हो। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। बाहर निकलने की उम्र और वृत्ति की शुरुआत 60 साल होगी। अतः अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा न्यूनतम अंशदान 20 साल या उससे अधिक हो जाएगा। आधार लाभार्थियों, पति या पत्नी और उम्मीदवारों की पहचान लंबी अवधि में पेंशन के अधिकार और पात्रता से संबंधित विवादों से बचने के लिए प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज द्वारा होगी। प्रमाण के लिए एक राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं, बैंक पासबुक की कॉपी भी स्वीकार की जायेगी है।

ग्राहकों को मासिक वृत्ति का विकल्प चुनना होता है 1000 से 5000 रुपये और नियमित रूप से नियत मासिक भुगतान सुनिश्चित करना होगा । उपलब्ध मासिक ? वृत्ति राशि के अनुसार, संचय चरण के दौरान ग्राहक वृत्ति राशि में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि, स्विचिंग विकल्प अप्रैल माह के दौरान वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों से जुड़ी होगी और योगदान स्वचालित रूप से कट जाएगा। इन खातों में से अधिकांश शून्य शेष शुरू में थी। भारत सरकार का उद्देश्य इस और संबंधित योजनाओं का उपयोग करके ऐसे शून्य शेष खातों की संख्या को कम करना है।

अटल पेंशन योजना भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, कामगारों को पेंशन लाभ देने के लिए शुरू की है। इस योजना में सरकार सह योगदान (सह अंशदान) प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि सरकार आपके द्वारा खाते में जमा की गई रकम पर 50% का योगदान करती है। परंतु इसके कुछ नियम हैं। सरकार वर्ष में अधिकतम 1000 रूपये तक का भुगतान करेगी जो 5 वर्षों तक जारी रहता है। इसकी अवधि 2016 से 2020 (5 वर्षो तक) रहेगी।

इस योजना में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपए की पेंशन 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक निवेशक को मिलती है। ध्यान देने वाली बात है कि इस पेंशन योजना पर सरकार ने गारंटी दी है। इसलिए यह पेंशन आपको हर हाल में मिलेगी, ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है।

निवेशक की मृत्यु होने पर पति पत्नी (नॉमिनी) को यह पेंशन मिलती रहती है। निवेशक की मृत्यु पर नॉमिनी चाहे तो इस योजना को जारी रख सकता है या जमा की गई धनराशि को निकाल सकता है। इस योजना में 60 वर्ष तक निवेश करना होता है। ग्राहकों की मदद के लिए यह योजना ऑनलाइन कर दी गई है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, जिसमें मूल पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत, और सरकारों द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य लाभ शामिल हैं और यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा तैयार किए संबंधित योजना से संचालित होते हैं। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ अनुदेश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2021 के एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण से संबंधित मास्टर परिपत्र में उपलब्ध है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रश्न और उत्तर के रूप में निम्नानुसार है –

1. **क्या पेंशनर की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा धारित संयुक्त खाता परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है ?**
   हां, बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए । यदि उत्तरजीवी जीवनसाथी (पति/पत्नी) के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में परिवार पेंशन के लिए प्राधिकार उपलब्ध है तो इस उद्देश्य से परिवार पेंशनर द्वारा नया खाता खोले बिना वर्तमान खाते में ही परिवार पेंशन जमा किया जाना चाहिए।

2. **भुगतान करने वाली शाखा द्वारा पेंशनर के खाते में, पेंशन कब जमा की जाती है?**
   पेंशन का भुगतान करनेवाले बैंकों द्वारा पेंशनरों के खातों में पेंशनराशि को पेंशन भुगतान प्राधिकारियों द्वारा दिए गए अनुदेश के आधार पर जमा किया जाता है।

3. **क्या पेंशन भुगतानकर्ता बैंक, पेंशनर के खाते में किए गए अधिक भुगतान की वसूली को वसूल कर सकता है?**

(ए) एजेंसी बैंको से अनुरोध है कि, वे पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त कर लें।

(बी) जहां कहीं भी बैंकों द्वारा की गयी गलती के कारण अधिक पेंशन का भुगतान हुआ हो ऐसे मामलों में भुगतान की गई अधिक राशि का पता चलने के तुरंत बाद और पेंशनरों से किसी भी प्रकार की राशि की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल एक मुश्त सरकार को वापस किया जाए।

4. **क्या पेंशनरों से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर पेंशन अदाकर्ता बैंक द्वारा पेंशन पर्ची दी जाती है?**

अधिकांश: ये भी शिकायतें मिलती हैं कि पेंशन भुगतानकर्ता शाखाओं के काउंटर पर जमा किए गए जीवन प्रमाणपत्र गुम हो जाते हैं जिसके कारण मासिक पेंशन के भुगतान में देरी होती है । पेंशनरों द्वारा सामना की जा रही मुश्किलों को कम करने के लिए, एजेंसी बैंकों को निर्देश दिया गया था कि वे जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से पावती दें । उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे जीवन प्रमाणपत्र की प्राप्ति को अपने सीबीएस में भी दर्ज़ करें और यंत्रजनित पावती भी दें जिससे पावती और रिकार्डों को तत्काल अद्यतन कर देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाएगी।

5. **पेंशन भुगतान में से स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए कौन जिम्मेदार है?**

पेंशन भुगतानकर्ता बैंक आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर, पेंशन राशि से आयकर की कटौती हेतु जिम्मेदार है।

6. यदि पेंशनर, हस्ताक्षर करने या हाथ/पैर का अंगूठा लगाने या बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो क्या वह अपने खाते से पेंशन आहरण कर सकता है?

हाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पेंशन वितरण के लिए पेंशन भुगतानकर्ता बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे नीचे दी गई कुछ प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पेंशन की आहरण की अनुमति दें:

बूढ़े/बीमार/अशक्त/अक्षम पेंशनरों द्वारा पेंशन का आहरण

(i) बीमार और अशक्त पेंशनरों द्वारा बैंकों से पेंशन/परिवार पेंशन आहरित करने में आ रही समस्याओं/कठिनाइयों को ध्यान में रखने के क्रम में एजेंसी बैंक ऐसे पेंशनरों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत करते हैं :-

(ए) पेंशनर, जो इतना बीमार है कि चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता / बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है।

(बी) पेंशनर, जो न केवल बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि कुछ शारीरिक दोष/अक्षमता के कारण चेक/आहरण फार्म पर अपने हस्ताक्षर करने/अंगूठा का निशान लगाने में भी असमर्थ है।

(ii) ऐसे बूढ़े/बीमार/अक्षम पेंशनरों को ध्यान में रखते हुए उनके खातों के परिचालन के लिए बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं :-

(ए) जहाँ कहीं बूढ़े/बीमार पेंशनर का हाथ का अंगूठा/पैर का अंगूठा का निशान प्राप्त किया जाए तो इसकी पहचान बैंक को ज्ञात दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए और इसमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए ।

(बी) जहाँ पेंशनर अपने हाथ का अंगूठा/पैर का अंगूठा का निशान नहीं लगा सकता और बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में भी अमसर्थ है तो चेक/आहरण फार्म पर एक निशान लिया जाए और दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा इसकी पहचान की जानी चाहिए और इसमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए।

एजेंसी बैंकों से अनुरोध है कि वे अपनी शाखाओं को यह अनुदेश दें कि वे इस संबंध में जारी अनुदेश अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें ताकि बीमार और अक्षम पेंशनर इन सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें।

7. **पेंशनरों को संशोधित दर पर महंगाई राहत का भुगतान कैसे होता है ?**

   पेंशन अदाकर्ता एजेंसी बैंक को डाक, फैक्स, ई-मेल से सरकार द्वारा दी गई सरकारी आदेशों की प्रतियां या संबंधित सरकारों के वेबसाइट का एक्सेस कर प्राप्त जानकारी के आधार पर मंहगाई राहत को संशोधित किया जाता है और पेंशन अदाकर्ता शाखाओं को प्राधिकृत किया जाता है कि वे पेंशनरों को तत्काल भुगतान करें।

8. **क्या पेंशनर, पेंशन/बकाया पेंशन विलंब से जमा किए जाने पर एजेंसी बैंकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं?**

   हां, पेंशन अदाकर्ता बैंक पेंशन/ बकाया पेंशन के देरी से जमा होने पर प्रतिवर्ष 8% की निर्धारित दर से भुगतान की नियत तिथि के बाद विलंब होने पर क्षतिपूर्ति करेगी । यह क्षतिपूर्ति दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 के बाद के सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के मामले में पेंशनरों के खाते में उसी दिन पेंशनर से दावे की प्रतीक्षा किए बिना स्वत: जमा हो जाएगी, जिस दिन संशोधित पेंशन/पेंशन बकाया से संबंधित राशि बैंक को प्राप्त होती है।

यह एफ़एक्यू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल सूचना और सामान्य मार्गदर्शन के उद्देश्य से जारी किया गया है, जिसे किसी विधिक कार्यवाही में उद्धृत नहीं किया जा सकता है और इसका कोई विधिक प्रयोजन नहीं होगा। इसका आशय कोई विधिक परामर्श अथवा विधिक राय के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके आधार पर की गई कार्रवाई इसके द्वारा लिए गए निर्णय के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शामिल केन्द्र सरकार के कार्मिकों की पेंशन एवं सेवानिवृति लाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी नीति तैयार करने के अलावा यह विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी तत्पर रहता है और पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा करने वाले मंच के रूप में कार्य करता है।

इन्टरनेट बैंकिंग द्वारा विभिन्न जमा संग्रहण एवं लाभ

बैंक को को इन्टरनेट के माध्यम से सबसे बडा लाभ हे कि बैंक में ग्राहकों की भीड कम हुई है। इसके साथ ही इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से कोई भी कैस की ट्राजेक्शन से शाखा द्वारा किये जाने पर बैंक का खर्चा अधिक आता है। जो कि एटीएम द्वारा किये जाने पर मात्र आता है। अगर हम अपने ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा एटीएम कार्ड दें तथा वह दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में उसका प्रयोग करते हैं तो भी बैंक को कुछ प्रतिशत रिवेन्यू मिलती है।

बैंक ग्राहक को इन्टरनेट का प्रयोग करने से बैंक को अतिरिक्त भार कम होता है। और ग्राहक को घर बैठे बैंकिंग सुविधा मिल जाती है। और बैंक को कुछ प्रतिशत कमीशन मिलता है जिससे बैंक को इसका लाभ मिलता है।

वर्तमान युग इन्टरनेट बैंकिंग का युग है हर पढा लिखा व्यक्ति आज के समय में बैक या किसी भी लेन देन वाली संस्था में लाइन अर्थात कतार में खडा होना नहीं चाहता है। वे सभी आज नेट बैंकिग जिसे ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं, का प्रयोग कर रहे है, यह प्रक्रिया एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेनदेन की एक श्रंखला का संचालन करने को सक्षम बनाती है।

कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग :

बैंक अपने कारपोरेट ग्राहकों को पोर्टल के माध्यम से विश्वस्तरीय इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। बैंक की कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा कारपोरेट ग्राहक को इंटरनेट के सुविधाजनक एवं सशक्त माध्यम से कहीं भी एवं किसी भी समय बैंकिंग सेवाएँ लेने के योग्य बनाती है ।
फाईल अपलोड करने की सुविधा-वेतन, टैक्स, प्री-पेड कार्ड टॉप अप, उपयोगिता बिलों, धन विप्रेषण आदि के लिए एकसाथ भुगतान सुविधा की है।

कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग के मुख्य विशेषताएं:

1. सरकारी कर भुगतान/ वाणिज्यिक भुगतान
2. ऑनलाइन ईपीएफ भुगतान
3. प्री-पेड़ कार्ड टॉप अप /वेतन भुगतान
4. आपूर्तिकर्ता भुगतान
5. प्रत्यक्ष नाम
6. एमआईएस रिपोर्ट तैयार करना

कर संग्रहण एवं करों का वर्गीकरण

कर संग्रहण से बैंकों को लाभ

राज्य/केंद्र सरकार के लेनदेन करने वाली मान्यता प्राप्त बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पारिश्रमिक अदा किया जाता है. ऐसे पारिश्रमिक को एजेंसी कमीशन कहा जाता है. वर्तमान में (1 जुलाई 2019) से लागू एजेंसी कमीशन की दरें निम्नानुसार हैं –

क्रम.सं.		लेन देन का प्रकार	इकाई	संशोधित दर
क	(i)	प्राप्तियाँ –भौतिक मोड	प्रति लेन देन	रु.40/-
	(ii)	प्राप्तियाँ –ई- मोड *	प्रति लेन देन	रु.9/-
ख	(i)	भुगतान – पेंशन	प्रति लेन देन	रु.75/-
	(ii)	भुगतान – पेंशन के अलावा	प्रति रु.100 टर्न ओवर	6.5 पैसे

* इस संदर्भ में, यह नोट करें कि उपरोक्त तालिका में प्राप्तियां ई-मोड जो कि क्रम संख्या क(i) के सामने दर्शाई गई हैं, वे ऐसे लेनदेन हैं जो कि इंटर्नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रेषक के बैंक खाते से निधियों के प्रेषण के रूप में हैं और ऐसे सभी लेन-देनों में नकद राशि/लिखतों की भौतिक प्राप्त शामिल नहीं हैं.

ऑनलाईन कर लेखा प्रणाली (OLTAS)
(Online Tax Accounting System)

टीडीएस स्वचालित रूप से स्रोत पर काट लिया जाता है, फिर भी अन्य प्रकार के कर होते हैं जैसे कि स्व असेसमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, और ऐडवांस टैक्स जो करदाताओं को सरकार को चुकाना पड़ सकता है. चालान 280 का उपयोग ऐसे आयकरों का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन करने के लिये किया जा सकता है.

चालान विवरण के ऑनलाइन उपलोड के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने और बैंकों के माध्यम से भुगतान किये गये कर के रिकॉर्ड को बनाये रखने के लिये आयकर विभाग की पहल को **OLTAS (ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली)** नाम दिया गया है.

बैंकों के द्वारा डाटा अपलोड किया जाना

आयकर विभाग ने कर भुगतान के सम्बंध में डाटा उपलोड करने के लिये फाइल प्ररूप तैयार किया है. बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन प्ररूपों के अनुसार कर डाटा उत्पन्न और अपलोड करें. फाइल प्रारूप के अनुसार फाईल तैयार हो जाने के बाद, एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई फाइल सत्यापन उपयोगिता (एफवीयू) का उपयोग करके इसकी संरचना की शुद्धता के लिये इसे सत्यापित किया जा सकता है.

इन करों का ऑनलाइन भुगतान/ई-भुगतान करने के लिये आप TIIN NSDL वेबसाइट पर जा सकते हैं. एक अन्य विकल्प आईटी विभाग द्वारा सूचीबद्ध नामित बैंक शाखाओं में से एक में समान भुगतान करना है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये करदाता का किसी भी अधिकृत बैंक में नेट-बैंकिंग खाता होना आवश्यक है.

यह सुनिश्चित करने के लिये कि करदाताओं को पूर्ण सुविधा का अनुभव हो, भारत में संग्रह तंत्र अच्छी तरह से संरचित है. इसके अलावा, सरकार राष्ट्र को मजबूत करने और इसके विकास में सहायता करने के लिये नियमित सुधार भी करती है.

स्रोत पर कर कटौती /स्रोत पर कर संग्रहण विवरण > ऑनलाइन दाखिलीकरण

चरण – 1 : ऑनलाइन कर का भुगतान करने के लिये, लॉगिन करें.
https://www.tin-nsdl.com > सेवा > ई-भुगतान > कर का भुगतान ऑनलाइन करें अथवा कथित वेबसाइट पर लेने के लिये "ई-भुगतान" टैब पर क्लिक करें.

चरण - 2
प्रासंगिक चालान अर्थात आईटीएनएस 280, आईटीईएनएस 281, आईटीईएनएस 282, आईटीईएनएस 283, अथवा प्रपत्र 26थख जैसा लागू हो, का चयन करें.

चरण - 3

पैन/टैन (जैसा लागू हो) तथा अन्य चालान सम्बंधी विवरण जैसे लेखांकन शीर्षक जिसके अंतर्गत भुगतान किया गया है, पैन/टैन का नाम व पता, बैंक जिसके द्वारा भुगतान किया जाना है आदि भरें.

चरण - 4

भरे हुए डाटा को जमा करने पर, एक पुष्टीकरण स्क्रीन प्रदर्शित होगी. यदि पैन/टैन आईटीडी पैन/टैन मास्टर के अनुसार वैध हुआ तो मास्टर के अनुसार करदाता का पूरा नाम पुष्टीकरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

चरण - 5

भरे हुए डाटा के पुष्टिकरण पर करदाता को बैंक की नेट- बैंकिंग साइट पर जाने को निर्देशित किया जायेगा.

चरण - 6

करदाता को नेट-बैंकिंग उद्ध्येश्य कई लिये बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ नेट बैंकिंग हेतु लॉगिन करना होगा तथा बैंक साइट पर भुगतान सम्बंधी विवरण भरना होगा.

चरण - 7

सफलतापूर्वक भुगतान पर एक चालान प्रतिपर्ण (काउंटरफॉयल) प्रदर्शित होगा जिसमें सीआईएन, भुगतान विवरण तथा बैंक का नाम जिसके द्वारा ई- भुगतान किया गया है, शामिल होगा. यह प्रतिपर्ण किये गये भुगतान का प्रमाण है. प्रत्यक्ष कर का ई-भुगतान करने के लिये दिये गये लिंक पर क्लिक करना होगा तथा यह आगे http://incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कर संग्रहण के लिये ई-सरल पोर्टल

मेकर लॉगिन (Maker Login)

मेकर लॉग इन

चरण 01: यूजर को ऐप्लीकेशन में मेकर के रूप में लॉग इन करना होगा.

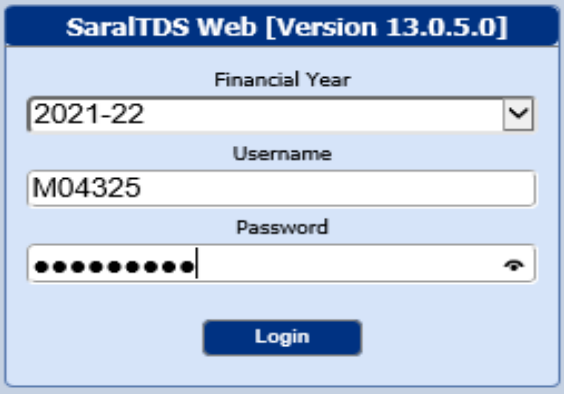

चरण 02: यूजर फॉर्म 26 या फॉर्म 27 या फॉर्म 27ईक्यू में से कोई एक अपेक्षित फॉर्म चुनना होगा, उदहरण फॉर्म 26 पर जायें →तिमाही 1→ कर कटौती का विवरण
मैनुअल कटौती विवरण दर्ज करें और सेव बटन पर क्लिक करें.

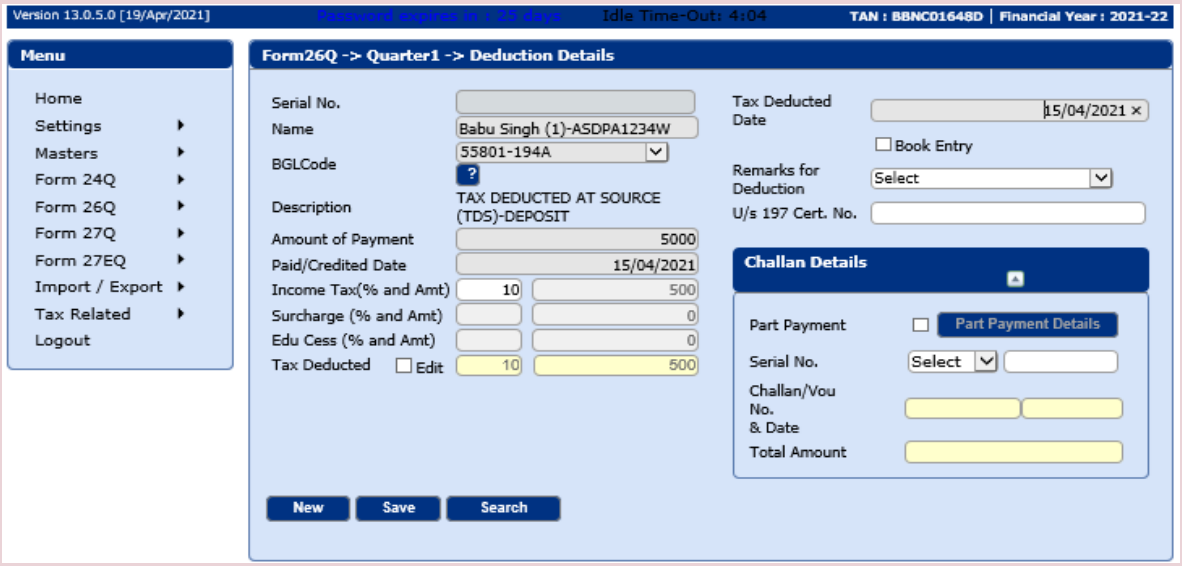

सेव बटन पर क्लिक करने पर कर कटौती रिकॉर्ड की स्थिति नीचे दिये गये चित्र में लाल रंग में दर्शाये गये के अनुरूप "अनुमोदनार्थ" के रूप में सेट हो जायेगा.

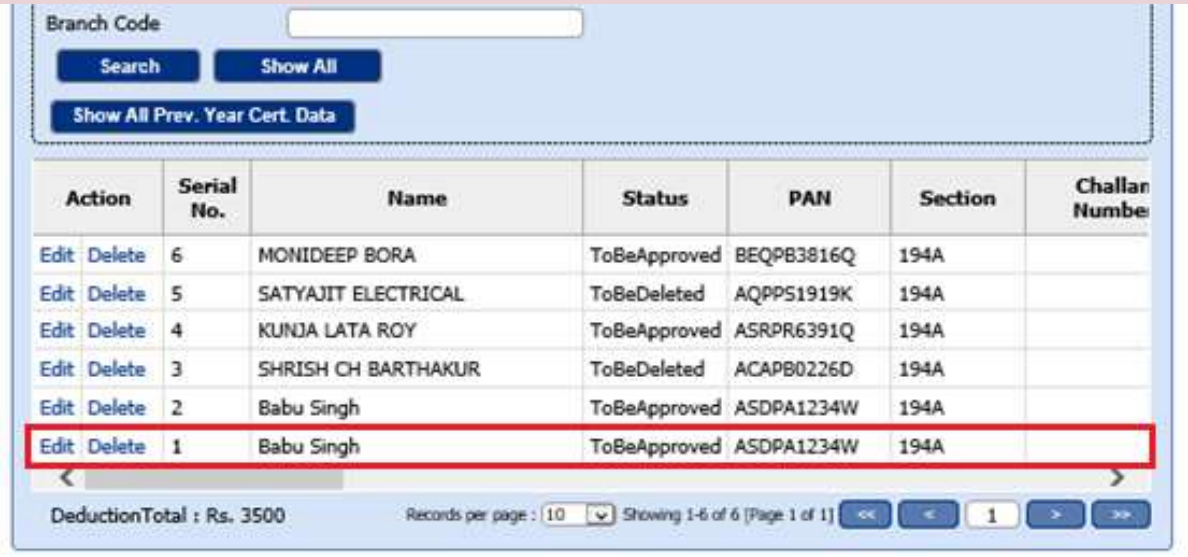

चरण 03: यूजर /मेकर पहले से दर्ज विवरण को संशोधित (सम्पादित करें/हटायें) कर सकता है, रिकॉर्ड की स्थिति "अनुमोदार्थ"/"हटाने के लिये" सेट हो जायेगी.
यूजर अनुमोदित रिकॉर्ड को संशोधित करके सेव बटन पर क्लिक करेगा जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है।

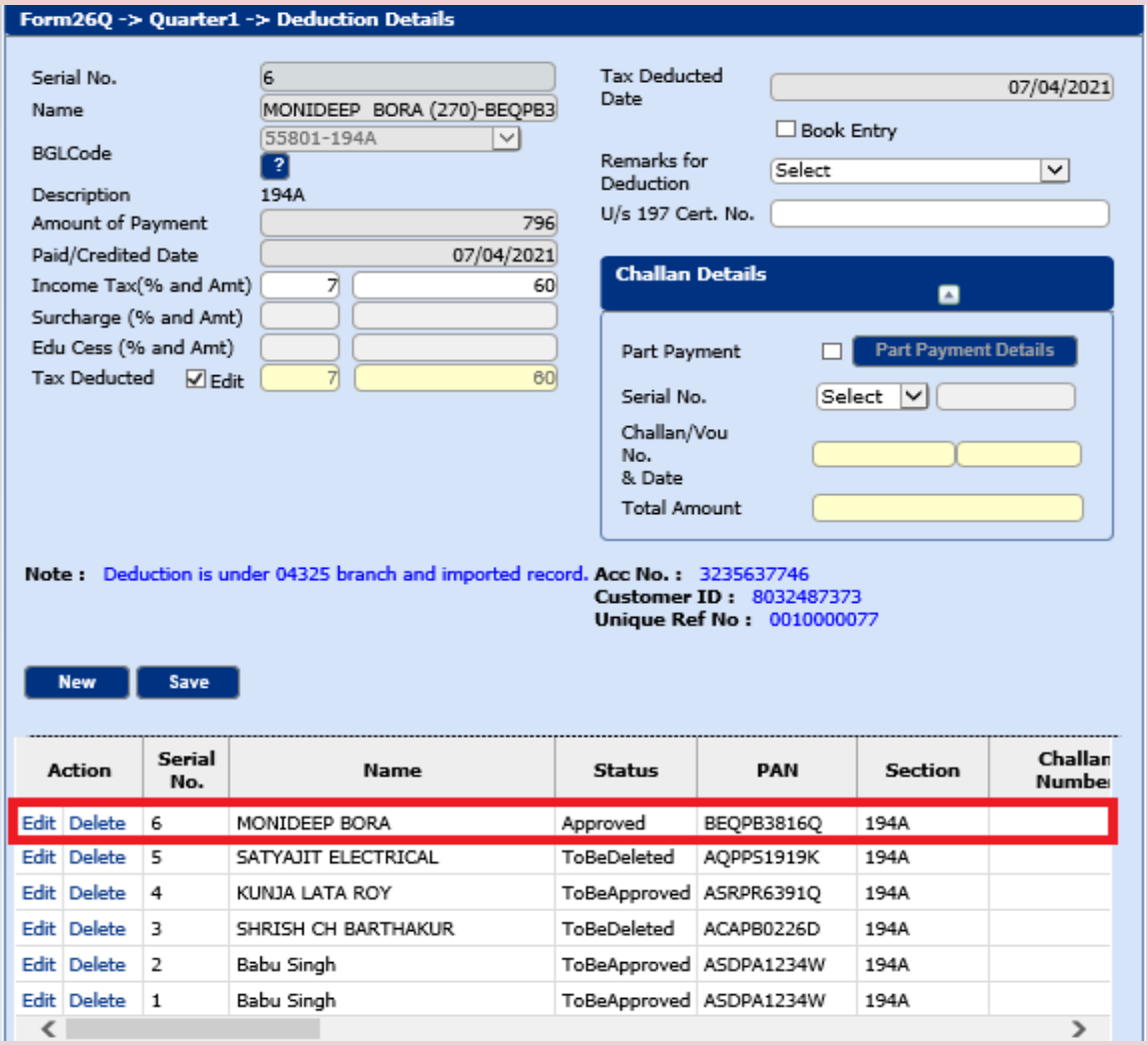

रिकॉर्ड को सेव करने के बाद नीचे दर्शाये गये चित्र के अनुसार "अनुमोदनार्थ" के रूप में स्थिति सेट कर दिया जायेगा

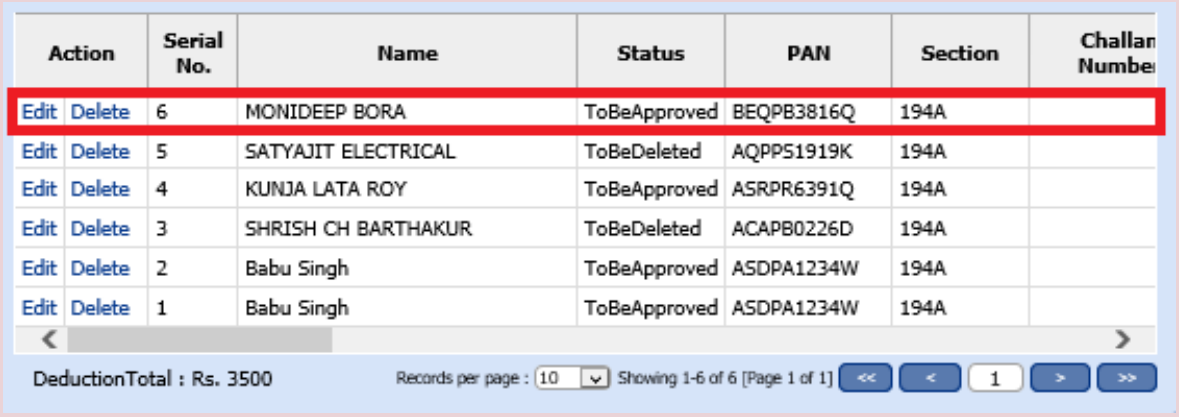

चरण 04 : यूजर अनुमोदित कटौती विवरण को हटाना चाहता है.
हटाने के लिये यूजर को "हटायें" लिंक पर क्लिक करना चाहिये, तब रिकॉर्ड की स्थिति "अनुमोदित" से "अनुमोदनार्थ" में परिवर्तित हो जायेगा.

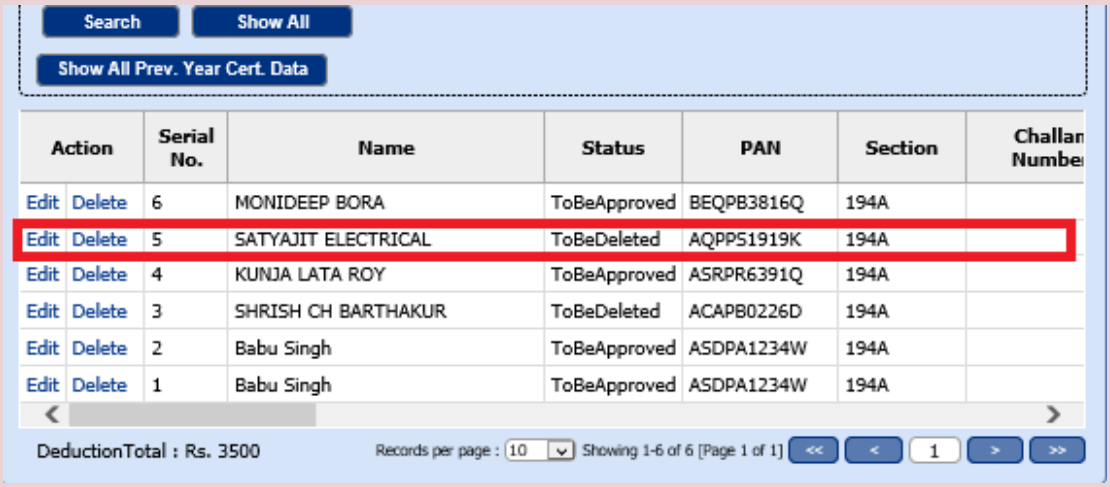

चेकर लॉग इन (Checker Login)

चेकर लॉग इन

चरण 01:

चेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 चुनेगा तथा नीचे दर्शाये गये चित्र के अनुसार ऐप्लिकेशन में लॉग इन करेगा.

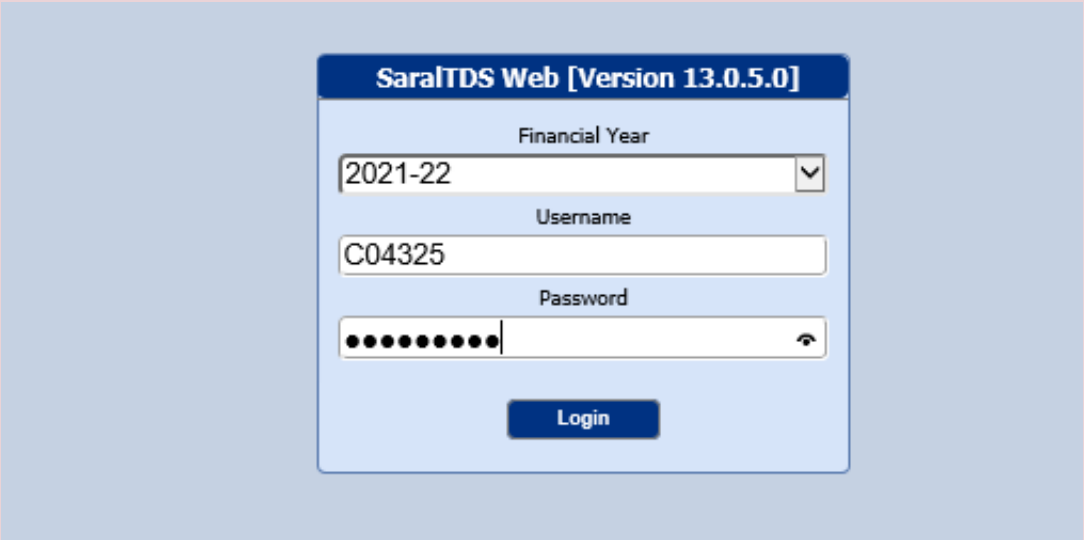

चरण 02 :

चेकर फॉर्म 26 या फॉर्म 27 या फॉर्म 27ईक्यू में से कोई एक अपेक्षित फॉर्म चुनना होगा,
उदहरण फॉर्म 26 पर जायें → तिमाही 1 → कर कटौती का विवरण
चेकर को नीचे दर्शाये गये चित्र के अनुसार प्रविष्टि हेतु दो विकल्प मिलेगा.

1. चेकर के रूप में
2. मेकर के रूप में

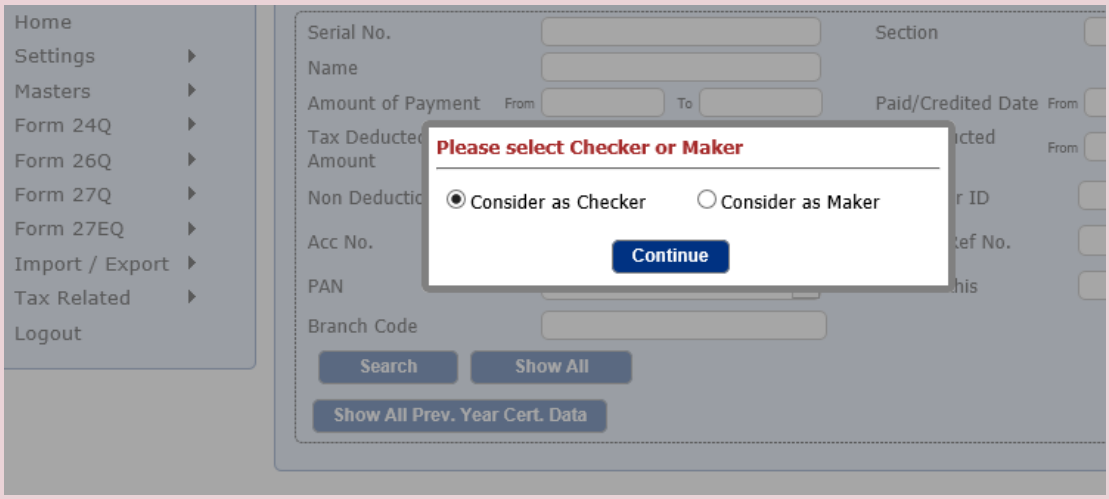

चेकर को कोई एक प्रविष्टि का विकल्प चुनना होगा और "जारी रखें" बटन पर क्लिक करेगा.

1. चेकर के रूप में

चेकर "चेकर के रूप में" चुनने पर चेकर "अनुमोदन/हटा/अस्वीकार" कर सकता है.

चेकर दो तरीके से अनुमोदन/ हटा/ अस्वीकार कर सकता है.

अ) एकल रिकॉर्ड अनुमोदन "अनुमोदन करें/हटायें/अस्वीकार करें".
ब) एकाधिक रिकॉर्ड अनुमोदन "अनुमोदन करें/हटायें/अस्वीकार करें".

अ) एकल रिकॉर्ड अनुमोदन "अनुमोदन करें/हटायें/अस्वीकार करें".

चेकर ग्रिड में से "व्यू" लिंक पर क्लिक करके अपेक्षित कटौती के रिकॉर्ड को चुनेगा. उपयुक्त कार्रवाई करने के लिये नीचे दिये गये ग्रिड में अनुमोदन करें/ हटायें और अस्वीकार करें बटन दिखाई देगा.

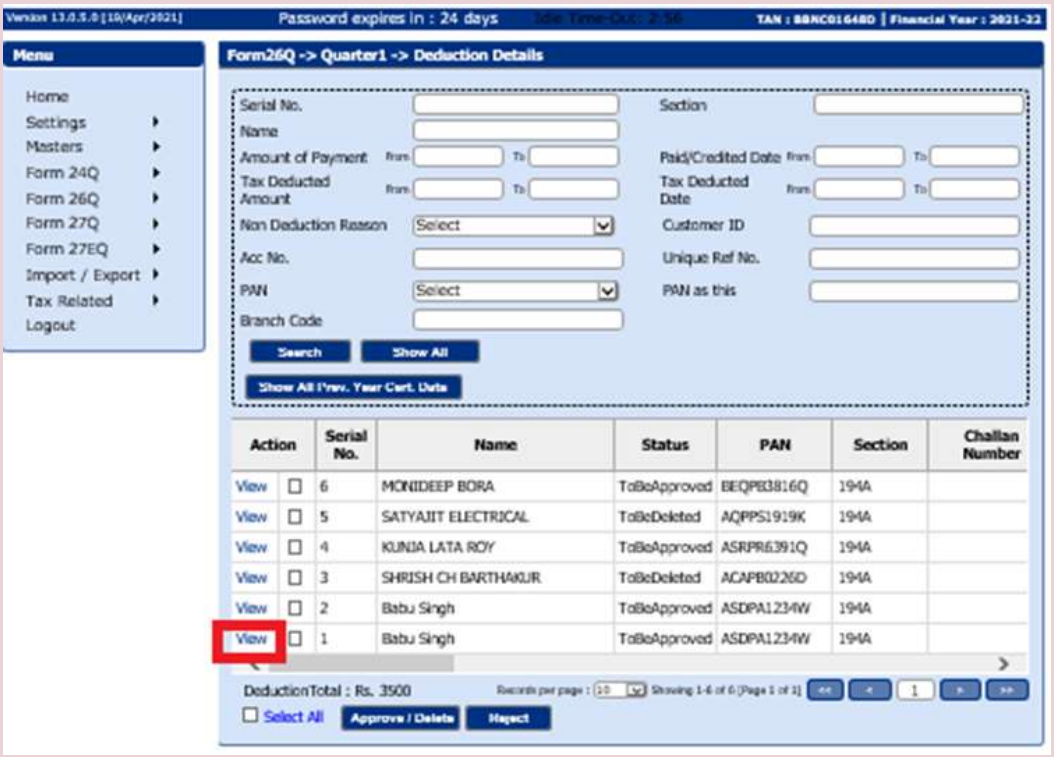

"व्यू" लिंक पर क्लिक करने पर नीचे दिखाया गया चित्र एकल रिकॉर्ड अनुमोदन हेतु दिखाई देगा.

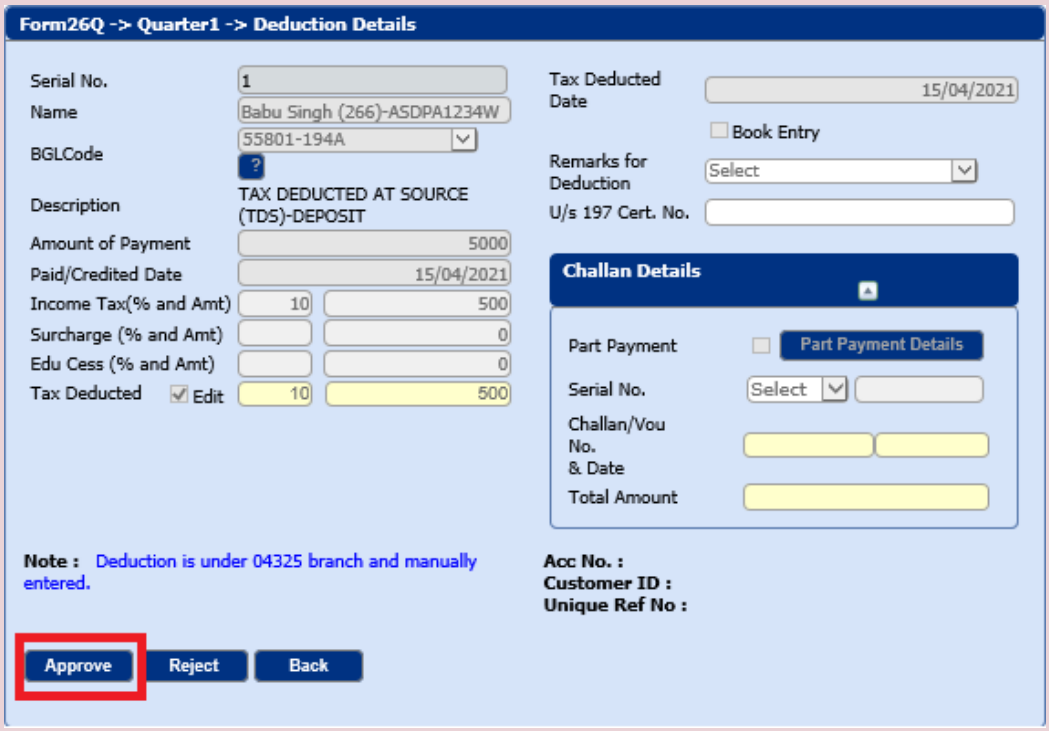

उपर्युक्त चित्र में लाल रंग में उभारे गये "अनुमोदन करें" बटन पर क्लिक करने पर रिकॉर्ड चेकर के रिकॉर्ड से लुप्त हो जायेगा और रिकॉर्ड आगे मेकर के आगे की कार्रवाई के लिये "अनुमोदित" स्थिति के रूप में उपलब्ध होगा.

नीचे दिये गये चित्र के अनुसार चेकर अनुमोदन अनुरोध को "अस्वीकार करें" बटन पर क्लिक करके अस्वीकार कर सकता है

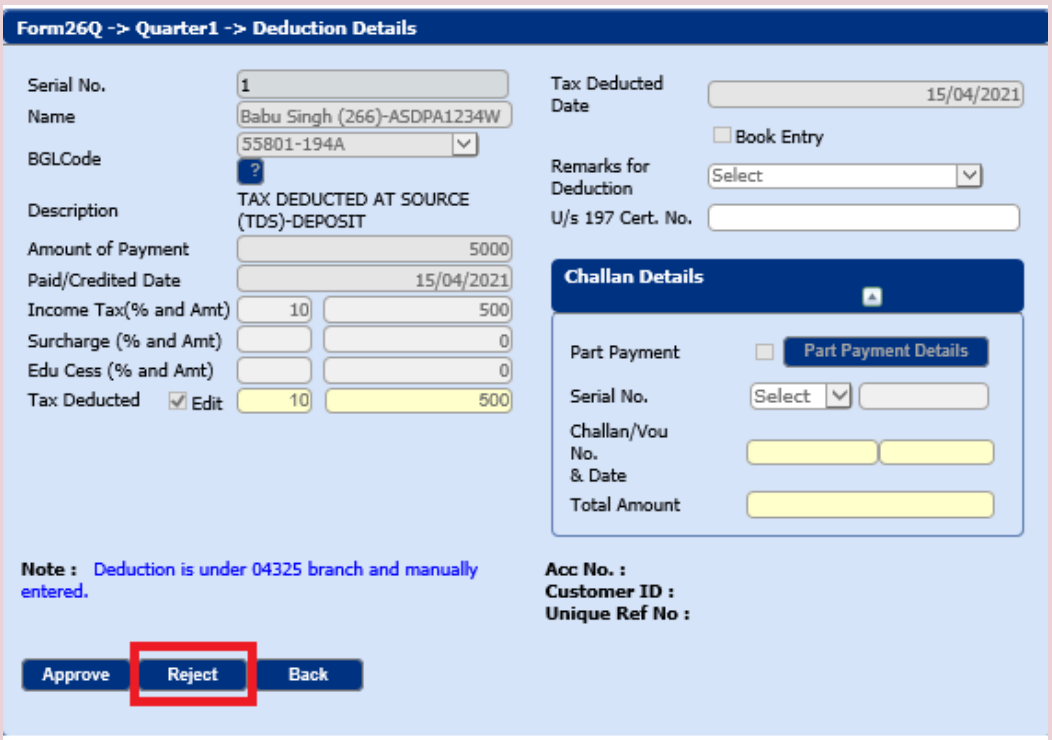

ब) एकाधिक रिकॉर्ड अनुमोदन "अनुमोदन करें/हटायें/अस्वीकार करें".

चेकर अनुमोदन करने/ हटाने और अस्वीकार करने के लिये "सलेक्ट ऑल" चेकबॉक्स पर क्लिक करके एकाधिक रिकॉर्ड चुनेगा जैसा कि नीचे चित्र में ग्रिड में लाल रंग में दिखाया गया है.

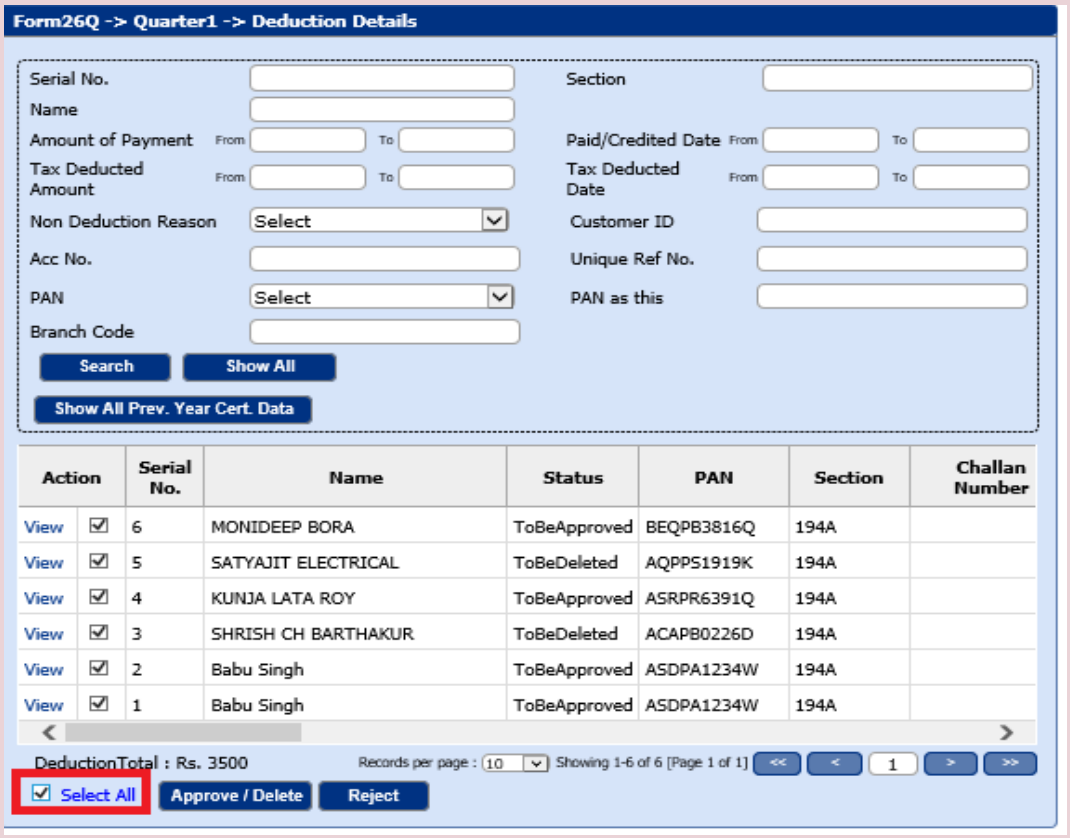

चेकर नीचे चित्र में दर्शाये गये चित्र के अनुसार अनुमोदन करें/ हटायें बटन पर क्लिक करके एकाधिक रिकॉर्ड चयन कर सकता है.

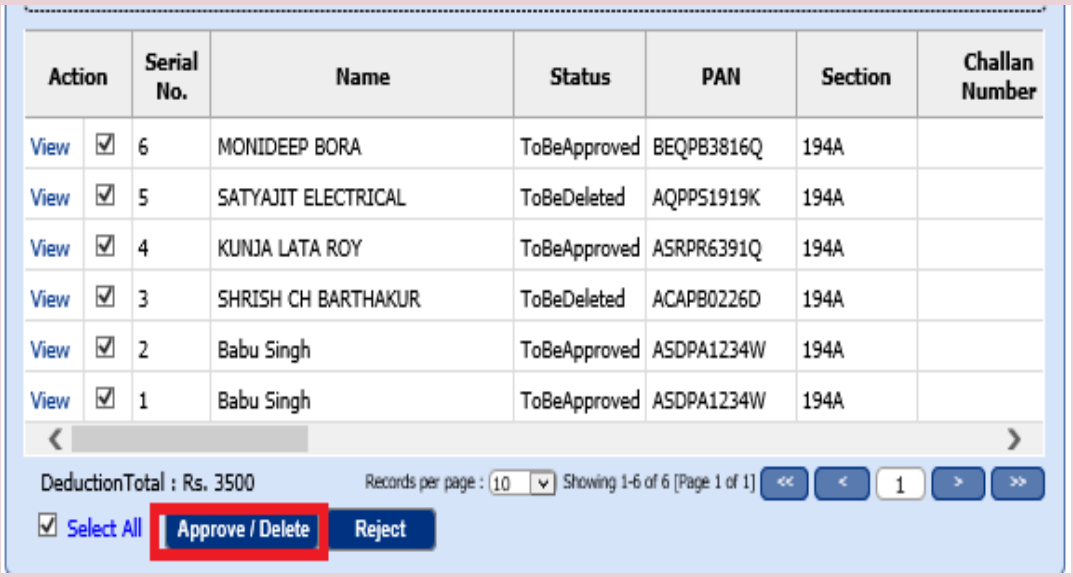

सभी चयनित **"अनुमोदनार्थ"** रिकॉर्ड **"अनुमोदित"** हो जायेंगे और चेकर की स्क्रीन से लुप्त हो जायेंगे.
सभी **"हटाने के लिये"** रिकॉर्ड **"हट"** जायेंगे और चेकर की स्क्रीन से लुप्त हो जायेंगे.
चेकर एकाधिक कटौतियों को **"अस्वीकार करें"** बटन पर क्लिक करके अस्वीकृत कर सकता है, जैसा कि नीचे दिये गये चित्र में दर्शाया गया है।

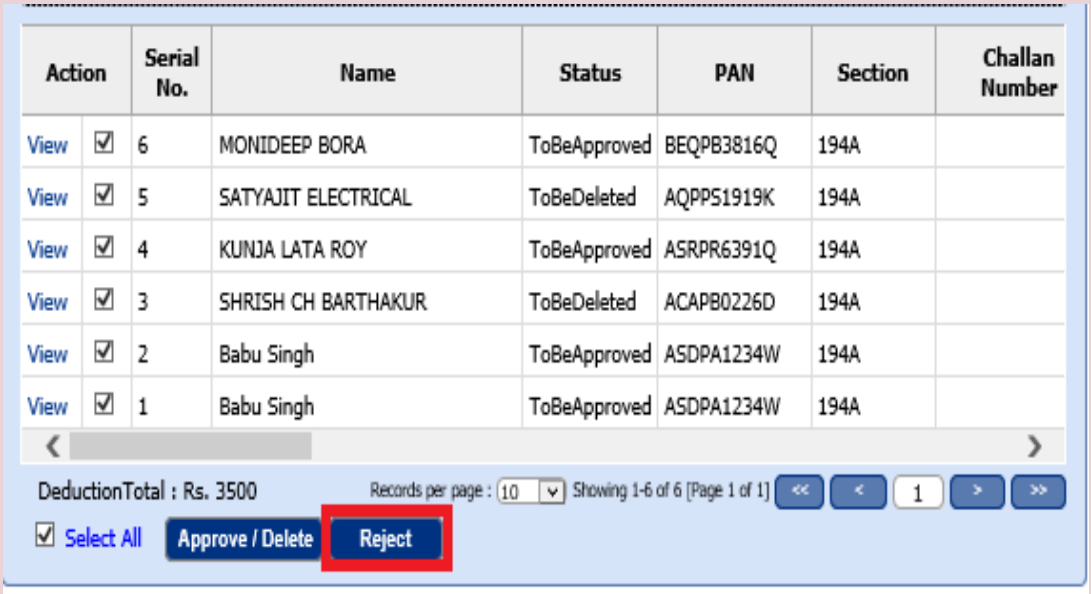

सभी चयनित "अनुमोदनार्थ" और "हटाने के लिये" रिकॉर्ड अस्वीकृत किये जा सकते हैं और चेकर के स्क्रीन से लुप्त हो जायेंगे.

2. मेकर के रूप में

नोट: चेकर मेकर भी हो सकते हैं, तथापि एक ही चेकर स्वयं अपनी प्रविष्टि को अनुमोदित नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में उसी शाखा का अन्य चेकर, क्षेत्रीय कार्यालय ऐड्मिन, सुपर ऐड्मिन को ऐसे रिकॉर्ड को अनुमोदन करने का प्रावधान दिया जाना चाहिये.

चेकर के "मेकर के रूप में" विकल्प का चयन करते ही कटौती विवरण प्रविष्टि पृष्ठ खुल जायेगा. चेकर "मेकर के रूप में" विकल्प चुनकर कटौती विवरण दर्ज कर सकता है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है. मैन्युअल कटौती विवरण दर्ज करें और सेव बटन पर क्लिक करें.

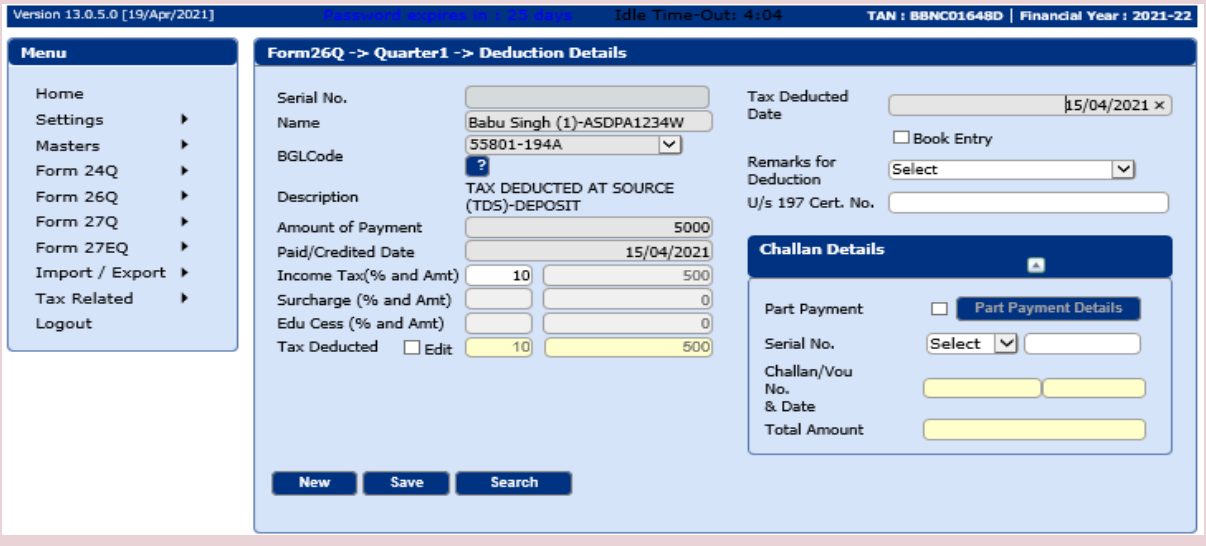

यूजर के सेव बटन पर क्लिक करते ही कटौती के रिकॉर्ड की स्थिति "अनुमोदनार्थ" के रूप में सेट हो जायेगा जैसा कि नीचे चित्र में लाल रंग में दर्शाया गया है।

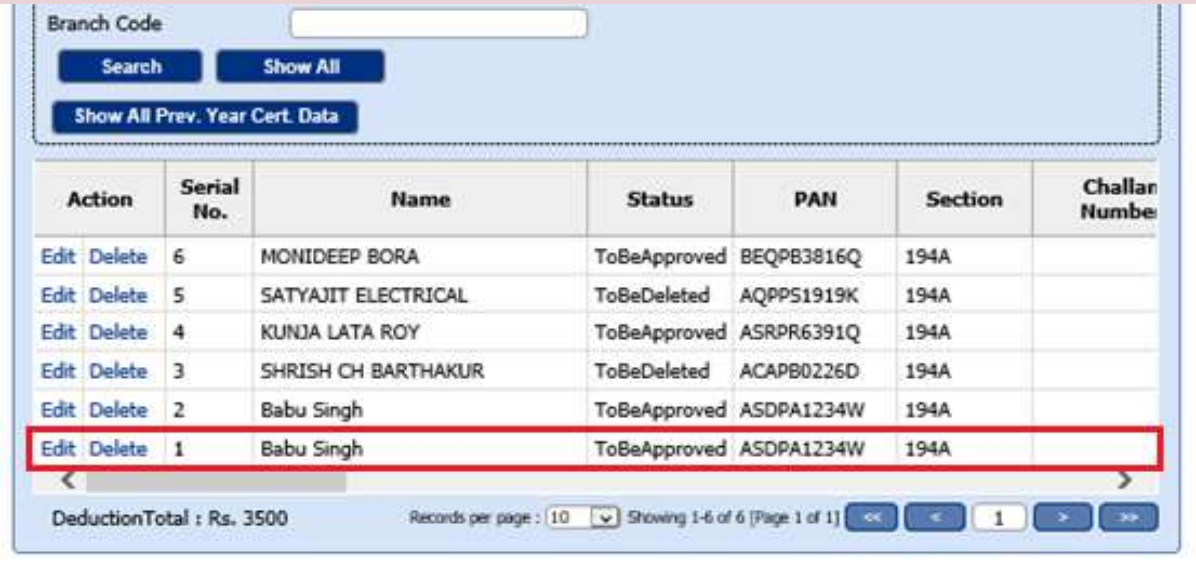

चरण 03:

यूजर /मेकर पहले से दर्ज विवरण को संशोधित (सम्पादित करें/हटायें) कर सकता है, रिकॉर्ड की स्थिति "अनुमोदार्थ"/"हटाने के लिये" सेट हो जायेगी.

यूजर अनुमोदित रिकॉर्ड को संशोधित करके सेव बटन पर क्लिक करेगा जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है.

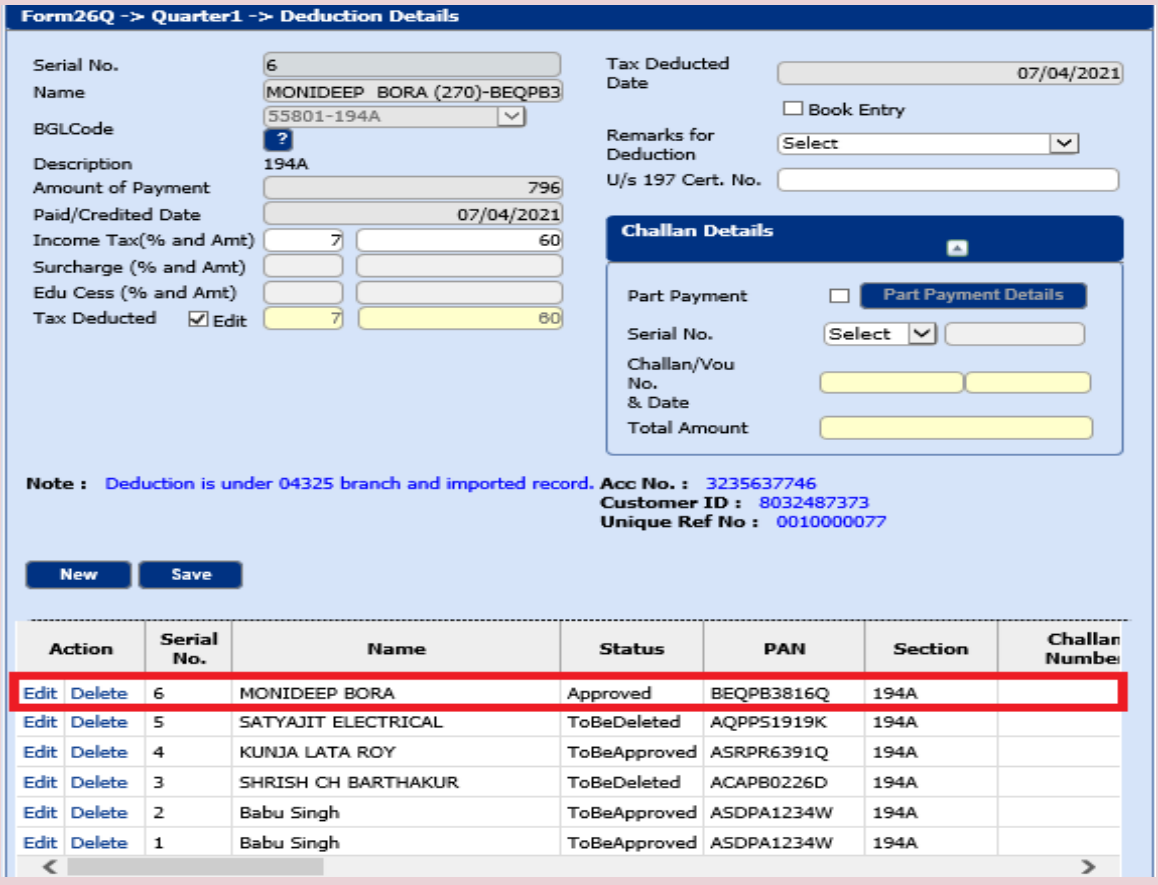

रिकॉर्ड सेव करने के बाद स्थिति "अनुमोदनार्थ" के रूप में सेट हो जायेगा जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है.

Action	Serial No.	Name	Status	PAN	Section	Challan Numbe
Edit Delete	6	MONIDEEP BORA	ToBeApproved	BEQPB3816Q	194A	
Edit Delete	5	SATYAJIT ELECTRICAL	ToBeDeleted	AQPPS1919K	194A	
Edit Delete	4	KUNJA LATA ROY	ToBeApproved	ASRPR6391Q	194A	
Edit Delete	3	SHRISH CH BARTHAKUR	ToBeDeleted	ACAPB0226D	194A	
Edit Delete	2	Babu Singh	ToBeApproved	ASDPA1234W	194A	
Edit Delete	1	Babu Singh	ToBeApproved	ASDPA1234W	194A	

DeductionTotal : Rs. 3500 Records per page : 10 Showing 1-6 of 6 [Page 1 of 1] « ‹ 1 › »

चरण 04:

यूजर पूर्व में अनुमोदित कटौती विवरण को हटाना चाहता है.

हटाने के लिये यूजर को "हटायें" लिंक पर क्लिक करना चाहिये, तब रिकॉर्ड की स्थिति "अनुमोदित" से "हटाने के लिये" में परिवर्तित हो जायेगा.

Search Show All

Show All Prev. Year Cert. Data

Action	Serial No.	Name	Status	PAN	Section	Challan Numbe
Edit Delete	6	MONIDEEP BORA	ToBeApproved	BEQPB3816Q	194A	
Edit Delete	5	SATYAJIT ELECTRICAL	ToBeDeleted	AQPPS1919K	194A	
Edit Delete	4	KUNJA LATA ROY	ToBeApproved	ASRPR6391Q	194A	
Edit Delete	3	SHRISH CH BARTHAKUR	ToBeDeleted	ACAPB0226D	194A	
Edit Delete	2	Babu Singh	ToBeApproved	ASDPA1234W	194A	
Edit Delete	1	Babu Singh	ToBeApproved	ASDPA1234W	194A	

DeductionTotal : Rs. 3500 Records per page : 10 Showing 1-6 of 6 [Page 1 of 1] « ‹ 1 › »

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए गये. इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।

एक ओर सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

अध्यक्ष, जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, सीबीडीटी का प्रमुख होता है। इसके अलावा, सीबीडीटी के छह सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सर्विस, से की जाती है। ये सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। सीबीडीटी के समर्थन सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं।

देश के सभी राज्यों में संसदीय क्षेत्र निर्धारित किये गए हैं, उसी के अनुसार उस क्षेत्र से जनता द्वारा एक जन प्रतिनिधि चुना जाता है जिसका चयन लोकसभा या आम चुनाव के माध्यम से किया जाता है. चयनित जनप्रतिनिधि को सांसद महोदय (Member of Parliament (MP) कहा जाता है. यही उस राज्य के निर्वाचित क्षेत्र का देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने क्षेत्रों की मांगों को आगे रखते हैं.

किसी राजनितिक दल द्वारा संसद में बहुतमत प्राप्त कर लेना पर उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है तथा आगे प्रधानमन्त्री की सलाह पर मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का गठन देश का राष्ट्रपति करता है. इस प्रकार विधायिका में केंद्र सरकार का गठन किया जाता है.

देश के सभी राज्यों में जहां – जहां विधानसभा स्थापित है वहां के लिए उस राज्य का कार्य भार राज्य द्वारा चलाया जाता है. यह उस राज्य से सम्बंधित जनता की सुविधा, विकास, लोकहित में योजनायें केंद्र सरकार के सहयोग से चलाती है. उस राज्य के नागरिकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही उस राज्य के लिए राज्य सरकार का निर्माण करते हैं.

अत: हम कह सकते हैं कि यह उस राज्य या उस राज्य के लोगो का ही प्रतिनिधित्व करती है और उन्हीं के हित में कार्य करती है |

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

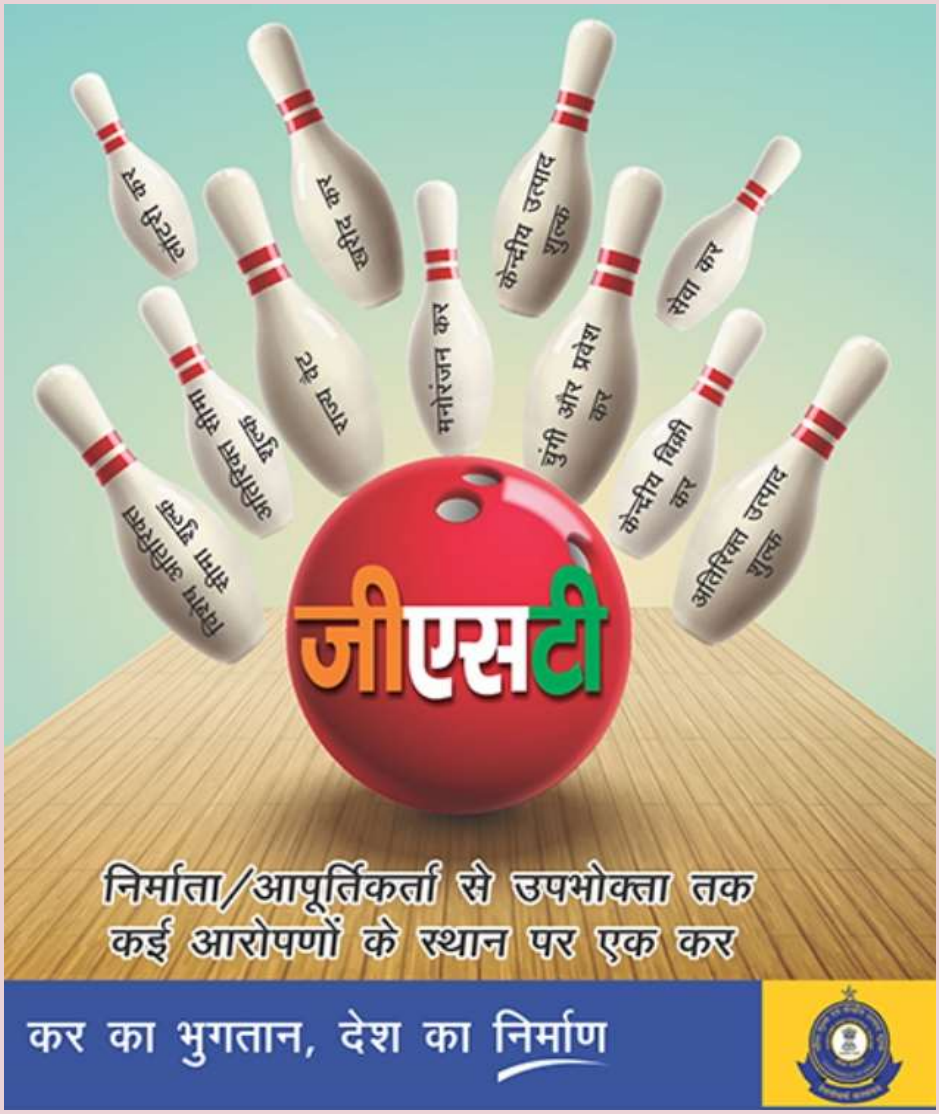

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) Goods and Services Tax (GST) भारत में 01 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। इसके लागू होने से केन्द्र सरकार एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गयी है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था।

वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12% और 18% मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर है।

जीएसटी कर की प्रकृति

जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जायेंगे।

चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया जा रहा है।

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया

जीएसटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आप सरकारी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, या आप जीएसटी सेवा केंद्र में पंजीकरण कर सकते हैं। टिन (TIN) सुविधा केंद्र सह पैन (PAN) केंद्र देश भर में उपलब्ध हैं:-

इन टिन सुविधा केंद्रों और पैन केंद्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां हैं:

- कटौतीकर्ताओं /संग्राहकों से ई-टीडीएस/ टीसीएस रिटर्न प्राप्त करें और उन्हें टिन केंद्रीय प्रणाली में अपलोड करें।
- गैर-कॉर्पोरेट, गैर सरकारी कटौतीकर्ताओं/कलेक्टरों से कागजी प्रारूप में टीडीएस/टीसीएस रिटर्न प्राप्त करें और उन्हें टिन केंद्रीय प्रणाली में अपलोड करें।
- फाइलरों से वार्षिक सूचना रिटर्न प्राप्त करें और उन्हें टिन केंद्रीय प्रणाली पर अपलोड करें।
- टैन (TAN) आवेदकों से नये TAN के आवंटन के लिये आवेदन (फॉर्म 49B) और 'आवंटित TAN के लिये TAN डेटा में परिवर्तन या सुधार के लिये अनुरोध' प्राप्त करें.
- पैन (PAN) आवेदकों से नये पैन के आवंटन के लिये आवेदन (फॉर्म 49ए, फॉर्म 49एए)' और 'नये पैन कार्ड के लिये अनुरोध या/ और पैन डेटा में बदलाव या सुधार' प्राप्त करें.
- खाता कार्यालयों (एओ) से फॉर्म 24जी विवरण प्राप्र करें और उन्हें टिन केंद्रीय प्रणाली पर अपलोड करें.

“भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड”

सरकार बाजार से पूंजी जुटाने के लिए कोई प्रतिभूति यानी सिक्यूरिटी जारी करती है तो उसे गवर्नमेंट सिक्यूरिटी कहा जाता है एवं आम बोल चाल में बॉन्ड कहते हैं. सरकार की ओर से रिजर्व बैंक इसे जारी करता है. सरकार की गारंटी होने से इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है.

भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड की ब्याज दर, जिसमें केंद्र सरकार ने कोई बदलाव नही किया है और जनवरी से जून, 2021 तक के लिए पहले की तरह ही अपरिवर्तित रखी हैं. इसकी ब्याज दर सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों की सावधि जमा से ज्यादा है. यह फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है.

आप अभिभावक के तौर पर नाबालिग के नाम से भी इस बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं. आप संयुक्त रूप से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें लॉक-इन पीरियड 7 वर्ष का है, यानी आप 7 वर्ष की अवधि तक पैसा नहीं निकाल सकते. वरिष्ठ नागरिक को 4 वर्ष के बाद समयपूर्व निकासी का विकल्प मिलता है, लेकिन समयपूर्व निकासी करने पर कुछ कटौती की जाती हैं.

बॉन्ड कैसे खरीदें :

निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड को किसी भी पीएसयू बैंक या फिर आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी या एक्सिस जैसे प्राइवेट बैंक से भी खरीद सकते हैं.

इस बॉन्ड पर छमाही आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड में कम से कम 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.

इस बॉन्ड को अधिकतम सीमा रू. 20000/- तक नकदी में खरीद सकते हैं, इससे अधिक की राशि के बॉन्ड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने की अनुमति है. सरकार ने जून, 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड की ब्याज दर 7.15 फीसदी रखी. हर 6 महीने पर इसकी ब्याज दर की समीक्षा की जाती है.

ब्याज पर आयकर :

इस बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर देय है. आप जिस आयकर स्लैब में आयेंगे, उसी के अनुसार आयकर देना होगा. इसके अलावा ब्याज आय पर टीडीएस (TDS) भी लागू होगा. निवेशक के लिए यह जानना भी जरूरी है कि यह बॉन्ड अंतरित नही किए जा सकते है। सिर्फ निवेशक की मृत्यु के बाद ही नॉमिनी के नाम पर यह अंतरित हो सकता है.

इनकी ट्रेडिंग शेयर बाजार में नहीं की जा सकती और न ही निवेशक इन पर बैंक, वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी आदि से लोन ले सकते हैं

"सोवरेन गोल्ड बॉन्ड"

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इनकी सम्पूर्ण गारंटी होती है. इसके अलावा इसकी कीमत 999 शुद्धता वाले सोने की कीमत से जुड़ी होती है. साथ ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक लाभ यह भी है कि इसमें प्रारंभिक निवेश की राशि पर वार्षिक 2.50 प्रतिशत की एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त होती है.

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bonds) भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी सरकारी सिक्योरिटी हैं. गोल्ड मोनेटाइज़ेशन स्कीम के तहत इसे नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था.ये योजना लोगों को भौतिक सोना रखने के बजाए गोल्ड बॉन्ड रखने के लिए शुरू की गई थी. ये बॉन्ड हमेशा खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराये जाते है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित निजी बैंकों, अनुसूचित विदेशी बैंकों, नामित डाकघरों और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से या तो सीधे या उनके एजेंटों के माध्यम से बेचा जाता है।

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की विशेषताएं -

1. भौतिक सोने की अपेक्षा बांड अधिक सुरक्षित विकल्प हैं.
2. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड डीमेट और पेपर फॉर्म दोनों में उपलब्ध होंगें.
3. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का उपयोग लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में किया जा सकता है. यह बांड भौतिक सोने की ही तरह है और पैसों की जरूरत के समय इसे बेचा / रिडीम किया जा सकता है.
4. सोने की वह मात्रा जिसके लिए निवेशक भुगतान करता है वह संरक्षित है, क्योंकि ग्राहक इसे बेचते/ रिडीम करते समय बाज़ार मूल्य प्राप्त करता है.
5. इन बॉन्ड की परिपक्व अवधि 8 वर्ष की है लेकिन इसे पाँच वर्ष बाद भी बेचा जा सकता है.
6. निवेश अवधि के अंत में सोवरेन गोल्ड बांड रिडीम किए जाएंगे जिसका भुगतान प्रचलित सोने की कीमतों के अनुसार किया जाएगा.
7. इन बॉन्ड में 22 केरेट 24 केरेट जैसी शुद्धता और मेकिंग चार्ज जैसे कारक नहीं हैं जो कि भौतिक सोने के आभूषणों के मामले में होते है.

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की पात्रता

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत परिभाषित सभी भारतीय निवासी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए पात्र हैं। पात्र निवेशकों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:

- व्यक्तिगत (एकल या संयुक्त रूप से)
- हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
- धर्मार्थ ट्रस्ट एवं इसी तरह की संस्थाएं

नाबालिग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावकों को अपनी ओर से आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित, भुगतान की तिथि से सप्ताह के अंतिम तीन व्यावसायिक दिनों की 999 सोने की शुद्धता के समापन मूल्य के आधार पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का बिक्री मूल्य तय किया जाएगा

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश की सीमा -

न्यूनतम निवेश किया जा सकता है 1 ग्राम सोना और अधिकतम सीमा नीचे दी गई श्रेणियों के अनुसार भिन्न होती है.प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अधिकतम निवेश सीमा (अप्रैल- मार्च) निम्नलिखित है:

- व्यक्ति- 4 किलोग्राम सोने (संयुक्त रूप से के मामले में, सीमा पहले आवेदक पर लागू होती है)
- हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) – 4 किलो ग्राम सोना
- ट्रस्ट और इसी तरह की संस्थाएं – 20 किलो सोना

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर लागू ब्याज दर

ग्राहक 2.50% (निर्धारित दर) की दर से प्रारंभिक निवेश की राशि पर ब्याज अर्जित करते हैं। ब्याज को निवेशक के बैंक खाते में अर्ध-वार्षिक रूप से जमा किया जाएगा और मूल ब्याज के साथ परिपक्वता राशि पर अंतिम ब्याज देय होगा।

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश -

1. इच्छुक निवेशक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं या तो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट से आवेदन केवाईसी (KYC) फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या इसे अधिकृत शाखाओं से प्राप्त कर सकते हैं.
2. निवेशक sbg@rbi.org.in से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं.
3. यदि कोई ग्राहक ऑनलाइन माध्यम का विरोध करता है और अधिकृत कमर्शियल बैंकों की वेबसाइट के माध्यम से भुगतान करता है, तो सोने के बॉन्ड का निर्गम मूल्य उन निवेशकों के लिए नाममात्र मूल्य से 50 रुपये / ग्राम कम होगा.
4. यदि ग्राहक योग्यता शर्तों को पूरा करता है, उसके पास वैध पहचान दस्तावेज़ है और वह समय पर आवेदन धन जमा करता है, तो उसको बॉन्ड का आवंटन कर दिया जाएगा.
5. ग्राहकों को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की तारीख पर होल्डिंग का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे या तो उस बैंक से एकत्र किया जा सकता है या जिससे आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है या भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे ई मेल पर प्राप्त किया जा सकता है.
6. निवेशकों को एक विशेष निवेशक आईडी दी जाएगी, जिसका उपयोग योजना में आने वाले सभी निवेशों के लिए किया जाएगा.

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष है। हालांकि, कोई व्यक्ति बॉन्ड खरीदने के पाँच वर्ष बाद भी बांड को रिडीम कर सकता है. निवेशक को परिपक्वता अवधि से एक महीने पहले सूचना दी जाएगी. परिपक्वता पर, भारतीय बॉन्ड और ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित बिक्री मूल्य के आधार पर भारतीय बांड में सोने के बांड को रिडीम किया जाएगा. ब्याज और रिडीम राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी

समय से पहले रिडीम करना:

निवेशकों को कूपन भुगतान की तारीख से 30 दिन पहले संबंधित बैंक, या प्राधिकारी को संपर्क करने की आवश्यकता होती है.समय से पहले रिडीम करने के अनुरोध को तभी स्वीकार किया जाएगा जब निवेशक कूपन भुगतान की तारीख से कम से कम एक दिन पहले संबंधित बैंक से संपर्क करे.

महत्वपूर्ण बिन्दु

जो निवेशकों को सोवरेन गोल्ड बांड के बारे में जानना चाहिए:

- डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटीज़ रखने हेतु, आवेदन फॉर्म में पैन न० देना अनिवार्य है.
- सोवरेन गोल्ड बांड में निवेशक के पास नॉमिनी बनाने की सुविधा उपलब्ध है.

- एसडीएस(SDS) पर टीडीएस(TDS) लागू नहीं है. हालांकि, यह बांड धारक की जिम्मेदारी है कि वह कर कानूनों का पालन करे

सोवरेन गोल्ड बांड पर ऋण

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बैंकों, ऋण संस्थानों से ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में उपयोग किए जाने के योग्य हैं. अनुपात समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित साधारण गोल्ड लोन पर लागू होगा. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर ऋण देना बैंक निर्णय के अधीन होगा.

सॉवेरन गोल्ड बांड पर कर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रावधान के अनुसार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज पर टैक्स देना होता है. रिडीम करने पर, व्यक्ति को कैपिटल गेन टैक्स में छूट दी गई है. बांड के अंतरण पर किसी भी व्यक्ति को होने वाले लाँग टर्म कैपिटल गेन को सूचकांक लाभ प्रदान किया जाएगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या भौतिक गोल्ड

विवरण	सोवरेन गोल्ड बॉन्ड	भौतिक गोल्ड
निवेश पर ब्याज	हाँ	नहीं
वार्षिक फंड प्रबंधन शुल्क	नहीं	नहीं
निकासी / रिडीम विकल्प	केवल 5 वें वर्ष से	किसी भी समय रिडीम कर सकते हैं
तरलता	सीमित	ज़्यादा
गुणवत्ता की जांच आवश्यक	नहीं	हाँ
ऋण के लिए गारंटी	हाँ	हाँ
सोने की शुद्धता	अधिकतम, यह इलेक्ट्रॉनिक/ कागज़ के रूप में है.	सोने की शुद्धता हमेशा एक सवाल बनी रहती है.

“वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (एससीएसएस)
Senior Citizen Saving Scheme (SCSS)”

इस योजना की अनूठी विशेषता यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को हमारी विद्यमान सावधि योजनाओं पर लागू ब्याज दर से प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज प्रदान किया जाता है. यह सुविधा नई जमाओं तथा परिपक्व जमाओं के नवीकरण पर लागू होगी

जमा राशि:
आपने जिस जमा योजना का विकल्प चुना है, उसमें निर्धारित मानदंडों के अनुरूप न्यूनतम जमा राशि स्वीकार्य होगी.

जमा की अवधि:
15 दिन (विभिन्न जमा योजनाओं में न्यूनतम अवधि) से 120 माह.

ब्याज दर प्रोत्साहन:
60 वरिष्ठ से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी सावधि जमा योजनाओं पर लागू सामान्य ब्याज दर से 0.50% अधिक की दर से अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान किया जाएगा

प्रमाणपत्र/पासबुक:
जमा योजना के अनुसार आपको प्रमाणपत्र/पासबुक प्रदान की जाएगी जैसे आवर्ती जमा के लिए पासबुक एवं एमएमडीसी, एमआईडीआर तथा क्यूआईडीआर के लिए रसीद जारी की जाएगी.
वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (एससीएसएस) एक सरकार समर्थित बचत योजना है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय निवासियों के लिए बनाई गयी है। खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद जमा राशि परिपक्व होती है, लेकिन यह अवधि एक ही बार 3 और साल के लिए बढाई जा सकती है. इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों को एक नियमित आय प्रदान करना है. सरकार द्वारा समर्थित होने के नाते इस पर मिलने वाली वापसी निश्चित हैं.
वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (एससीएसएस) सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत के डाकघरों के माध्यम से ली जा सकती हैं.रु. 2.00 करोड़ तक की जमाराशियों हेतु 91 दिनों और अधिक के परिपक्वता स्लैब हेतु 0.50% प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान की जाती हैं. जमा की समयपूर्व

वापसी के मामले में, उस अवधि के लिए लागू दर पर ब्याज देय है जिस अवधि के लिए बैंक के पास राशि जमा है।

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (एससीएसएस) में जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत कटौती के लिए योग्य है.

खाता पोस्ट ऑफिस और अधिकृत बैंकों की शाखाओं में खोला जा सकता है.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) एक सरकार समर्थित बचत योजना है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय निवासियों के लिए बनाई गयी है। खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद जमा राशि परिपक्व होती है, लेकिन यह अवधि एक ही बार 3 और साल के लिए बढाई जा सकती है. इस योजना का उद्देश्य स्वैछिक सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों को एक नियमित आय प्रदान करना है. वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (SCSS) सार्वजनिक /निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत के डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध है.सरकार द्वारा समर्थित होने के नाते इस पर मिलने वाले रिटर्न गारन्टीड हैं।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2021	
ब्याज दर	7.4% प्रति वर्ष (पहली तिमाही वित्तीय वर्ष 2021-22)
अवधि	5 वर्ष (3 वर्ष बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध है)
न्यूनतम निवेश राशि	₹ 1,000
अधिकतम निवेश राशि	₹ 15 लाख या सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि, जो भी कम हो.
लाभ	• सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश • सावधि जमा और बीएसीएचएटी खाते के मुकाबले अधिक वापसी • ₹1.5 लाख तक का आयकर लाभ
परिपक्वता अवधि से पहले पैसे निकालने पर जुर्माना	• 2 वर्ष पूरे होने से पहले निकालने पर जमा राशि का 1.5% • 2 वर्ष के बाद निकालने पर जमा राशि का 1%

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना : ब्याज दर

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए ब्याज दर 7.4% है. यह एक फिक्स्ड इनकम स्मॉल सेविंग स्कीम द्वारा दी जाने वाले उच्चतम ब्याज दरों में से एक है.

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना की ब्याज दर की समीक्षा त्रैमासिक रूप से (हर तीन महीनों में) की जाती है और यह समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है. ब्याज की गणना भी त्रैमासिक की जाती है.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना : योग्यता शर्तें

यदि आप निम्नलिखित समूहों में आते हैं, तो आप वरिष्ठ नागरिक जमा योजना में निवेश करने के लिए योग्य हैं:

- 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति.
- 55-60 वर्ष की आयु वर्ग के सेवानिवृत्त, जिन्होंने स्वैछिक सेवानिवृत्ति (VRS) को चुना हो.
- सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी, जिनकी उम्र न्यूनतम 60 वर्ष हो.
- सेवानिवृत्ति का लाभ उठाने के एक महीने के भीतर निवेश किया जाना चाहिए.
- हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और (एनआरआई (NRI) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करने के लिए योग्य नहीं हैं.

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना में निवेश करने के लाभ

निश्चित वापसी :

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (SCSS) सरकार समर्थित लघु बचत योजना है, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश विकल्पों में से एक है।

उच्च ब्याज दर:

7.4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के कारण वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (SCSS) सबसे फायदेमंद निवेश विकल्पों में से है, विशेष रूप से सावधि जमा और बचत खाते जैसे पारंपरिक निवेश विकल्पों की तुलना में.

आयकर लाभ :

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना में निवेश कर आप 1.5 लाख रु. प्रति वर्ष टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं।

सरल निवेश प्रक्रिया :

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना में निवेश की प्रक्रिया काफी सरल है. आप भारत में किसी भी अधिकृत बैंक या किसी भी डाकघर में वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोल सकते हैं.

त्रैमासिक ब्याज भुगतान :

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता के तहत, ब्याज राशि का भुगतान त्रैमासिक (हर तीन महीनों में) में किया जाता है, जो आपके निवेश में अवधि के भुगतान को सुनिश्चित करता है. ब्याज प्रत्येक अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन जमा किया जाएगा.
न्यूनतम जमा राशि- ₹ 1,000

अधिकतम जमा राशि- ₹ 15 लाख या सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, जो भी कम हो.
वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खातों में जमा नकद में किया जा सकता है, लेकिन केवल 1 लाख रु. से कम की राशि नकदी में जमा करने अनुमति है. इससे अधिक राशि जमा करने के लिए चेक / डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करना अनिवार्य है.

परिपक्वता अवधि

खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद वरिष्ठ नागरिक बचत योजना परिपक्व हो जाती है. हालाँकि, खाता धारक के पास परिपक्व होने के बाद खाते को अतिरिक्त 3 साल तक बढ़ाने का विकल्प होता है. यह विकल्प वर्तमान में सिर्फ एक बार उपलब्ध है और खाता परिपक्व होने के 1 वर्ष के भीतर विस्तार के लिए अनुरोध कर देना चाहिए.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता कैसे खोलें ?

आप देश के किसी भी अधिकृत बैंक या डाकघर की शाखाओं में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोल सकते हैं.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता पोस्ट ऑफिस में खोलें-

आप देश के सभी भारतीय डाकघरों में एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोल सकते हैं। आपको खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा और केवाईसी दस्तावेजों की कॉपी के साथ जमा करना होगा, जिसमें पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और उम्र के प्रमाण के साथ 2 वर्तमान पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शामिल हैं।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता बैंक में खोलने के लाभ

डाकघरों के अलावा, आप चुनिंदा सार्वजनिक / निजी बैंकों में भी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता (SCSS) खोल सकते हैं। अधिकृत बैंकों में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोलने के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:

जमा ब्याज को सीधे बैंक शाखा के पास जमाकर्ता के बचत बैंक खाते में जमा किया जा सकता है.
खाता विवरण पोस्ट या ईमेल के माध्यम से जमाकर्ताओं को भेजे जाते हैं.
फोन बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से 24 × 7 ग्राहक सेवा.

बैंक जहाँ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोल सकते हैं-

निम्नलिखित कुछ लोकप्रिय बैंकों की सूची है जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं –

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नेश्नल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब एंड सिंध बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
आईसीआईसीआई बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक	यूको बैंक	आईडीबीआई बैंक

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना पर लागू आयकर नियम-

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (SCSS) में किया गया निवेश भी निम्नलिखित तरीके से आयकर में छूट के लिए योग्य है :

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना में जमा की गई मूल राशि 1.5 लाख रु. प्रति वर्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स में छूट के लिए योग्य है.

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (एससीएसएस) पर मिलने वाले ब्याज पर व्यक्ति पर लागू आयकर स्लैब के अनुसार आयकर लगेगा. अगर एक वित्तीय वर्ष में कमाया गया ब्याज 50,000 रु. से अधिक है, तो उसे टीडीएस भी लगेगा. वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (SCSS) निवेश पर टीडीएस कटौती वर्ष 2020-21 के बाद से लागू है.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की पिछली ब्याज दरें -

समय अवधि	ब्याज दर (% प्रतिवर्ष)
अप्रैल से जून (प्रथम तिमाही वित्तीय वर्ष 2021-22)	7.4
जनवरी से मार्च 2021 (चतुर्थ तिमाही वित्तीय वर्ष 2021-22)	7.4
अक्टूबर से दिसम्बर 2020 (त्रतीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2021-22)	7.4
जुलाई से सितम्बर 2020 (द्वितीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2020-21)	7.4
अप्रैल से जून 2020 (प्रथम तिमाही वित्तीय वर्ष 2020-21)	7.4
जनवरी से मार्च (चतुर्थ तिमाही वित्तीय वर्ष 2019-20)	8.6
अक्टूबर से दिसम्बर 2019 (त्रतीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2019-20)	8.6

जुलाई से सितम्बर 2019 द्वितीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2019-20)	8.6
अप्रैल से जून 2019 (प्रथम तिमाही वित्तीय वर्ष 2019-20)	8.7
जनवरी से मार्च 2019 (चतुर्थ तिमाही वित्तीय वर्ष 2018-19)	8.7
अक्टूबर से दिसम्बर 2018 (त्रतीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2018-2019)	8.7
जुलाई से सितम्बर 2018 (द्वितीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2018-19)	8.3
अप्रैल से जून 2018 (प्रथम तिमाही वित्तीय वर्ष 2018-19)	8.3
जनवरी से मार्च 2018 ((चतुर्थ तिमाही वित्तीय वर्ष 2017-18)	8.3
अक्टूबर से दिसम्बर 2017 (त्रतीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2017-18)	8.3
जुलाई से सितम्बर 2017 (द्वितीय तिमाही वित्तीय वर्ष 2017-18)	8.3
अप्रैल से जून 2017 ((प्रथम तिमाही वित्तीय वर्ष 2017-18)	8.4

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना : परिपक्वता से पहले पैसे निकालने के नियम

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना में समय से पहले पैसे निकालने की अनुमति है, लेकिन खाता खोलने और निकासी के बीच के समय के आधार पर ऐसे मामलों में दंड लागू होते हैं। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (SCSS) के समयपूर्व निकासी के दंड इस प्रकार है:

खाता खोलने की तारीख से 2 साल पूरा होने से पहले योजना बंद करने पर जमा राशि का 5% जुर्माना के रूप में काटा जाता है.

खाता खोलने के 2 से 5 साल के बीच योजना से बाहर निकलने पर वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (SCSS) में जमा राशि का 1% जुर्माने के रूप में काटा जाता है

खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर

खाता परिपक्वता से पहले प्राथमिक खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में, खाता बंद कर दिया जाएगा और सभी देय राशि कानूनी वारिस / नामित व्यक्ति को अंतरित कर दी जाएगी। मृत दावों के लिए, नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को खाता बंद करने की सुविधा के लिए मृतक प्रमाणपत्र के साथ निर्धारित फ़ॉरमेट में लिखित आवेदन भरना होगा

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना (SCSS) एवं सावधि जमा (FD) टेक्स सेविंग

विशेषताएँ	वरिष्ठ नागरिक जमा योजना	सावधि जमा (टेक्स सेविंग)
ब्याज दर	7.4% (अप्रैल-जून 2021)	6.5%-8.45% (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)
परिपक्वता अवधि	5 वर्ष	5 वर्ष
कर लाभ (निवेश पर)	हाँ	हाँ
कर लाभ (रिटर्न पर)	कर लगेगा	कर लगेगा
परिपक्व होने से पहले पैसे निकालें	1 वर्ष के बाद अनुमति है (1.5% शुल्क लगेगा)	अनुमति नहीं है

उपरोक्त आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है की पीपीफ (PPF), सुकन्या समृद्धि खाता, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ई-कस्टम, भारतीय रिजर्व बैंक बांड, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना , नेशनल पेंशन योजना (NPS), आदि सुरक्षित योजनाएं है जिनमें अगर आप बिना जोखिम लिये एक निश्चित समय में एकमुश्त रकम चाहते हैं, तो उपरोक्त सरकारी जमा योजनाओं में निवेश करना ही श्रेष्ठ विकल्प हैं.

इन योजनाओं में निवेश करने मे किसी तरह का जोखिम नही है. अन्य मार्केट दर की योजनाओं में निवेश करने पर ब्याज आय या रिटर्न कम या अधिक मिलने का जोखिम हमेशा बना रहता हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना, देश की बेटियों के भविष्य के लिए एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" अभियान के तहत की गई. इस योजना में माता-पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से बैंक या डाकघर में खाता खोल सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए.

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए निम्नलिखित जानकारियां संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अधिकृत बैंक :

सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए डाकघर के अलावा सरकारी वाणिज्यिक और निजी बैंक अधिकृत हैं-

भारतीय स्टेट बैंक
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
यूनियन बैंक आफ इंडिया
यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक
पंजाब नैशनल बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
इंडियन बैंक
आईडीबीआई बैंक
आईसीआईसी बैंक
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
केनरा बैंक
बैंक आफ महाराष्ट्र
बैंक आफ इंडिया
बैंक आफ बडौदा
एक्सिस बैंक

ब्याज दर :

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जमा की जाने वाली ब्याज निम्न सूची के आधार पर प्रदान की जाती है. यह अन्य जमा योजनाओं से अधिक आकर्षक ब्याज दर है. सरकार प्रत्येक तिमाही ब्याज दर की समीक्षा करती है और इसकी घोषणा आम बजट के समय की जाती है. प्रत्येक वर्ष इस खाते में न्यूनतम रु. 250 और अधिकतम 1.50 लाख धनराशि जमा कर सकते हैं. एक महीने और एक वित्त वर्ष के दौरान रकम जमा करने की बारम्बारता की कोई सीमा नहीं है।

सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की पात्रता :

सुकन्या समृद्धि में केवल जन्म से लेकर 10 वर्ष से कम उम्र की लडकी के नाम ही खाता खुल सकता है. 10 वर्ष से अधिक उम्र की बालिका का खाता नहीं खोला जा सकता है. इस योजना का लाभ हिंदू अविभाजित परिवार एवं अनिवासी भारतीयों को नहीं मिलता है. यदि खाता खोलने के बाद कोई बालिका एन.आर.आई बन जाती है तो उसे अपना सुकन्या समृद्धि खाता बंद करना होगा. यदि खाता बंद नहीं किया जाता है तो एन.आर.आई बनने के बाद इस खाते में किसी प्रकार का ब्याज प्रदान नहीं किया जाएगा.

खाता खोलने के लिए दस्तावेज :

खाता खोलने के लिए तीन दस्तावेजों की आवश्यकता है:-

1. लड़की का जन्म प्रमाणपत्र जो अस्पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो.
2. लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, बिजली या टेलीफोन बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य कोई भी प्रमाणपत्र, जिसमें निवास का उल्लेख हो।
3. पैन कार्ड या हाई स्कूल का प्रमाणपत्र भी खाता खोलने के लिए मान्य है।

खाता खोले जाने के बाद उसे भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है.

सुकन्या समृद्धि खाता की विशेषताएं :-

- खाते की वैधानिकता उसके खोले जाने की तारीख से लेकर 21 वर्ष की है. जिसके बाद खाते की परिपक्वता राशि उस लड़की को दे दी जाएगी जिसके नाम पर खाता है. यदि परिपक्वता के बाद खाता बंद नहीं किया जाता है तो जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा, जिसके बारे में समय-समय पर सूचना प्रदान की जाती है. यदि लड़की का विवाह 21 वर्ष पूरे होने से पहले हो जाता है तो खाता अपने आप बंद हो जाएगा.

- खाता खोलने की तारीख से 14 वर्ष तक रकम जमा की जाएगी. इसके बाद जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा.

- यदि न्यूनतम आवश्यक निर्धारित राशि जिसे एक हजार रुपए से घटाकर 250 रुपये कर दिया गया है, को माता-पिता या अभिभावक जमा नहीं करते हैं तो खाता सक्रिय नहीं माना जाएगा. इस स्थिति में खाते को प्रतिवर्ष 50 रुपये दण्ड शुल्क के साथ दुबारा चालू किया जा सकता है और न्यूनतम वार्षिक अंशदान भी जमा करनी होगा.

- 21 वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले खाता धारी (बालिका) धनराशि निकाल सकती है, बशर्ते कि उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो. इस स्थिति में वह कुल जमा राशि का 50% ही निकाल पाएगी और निकाली जाने वाली रकम या तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने या विवाह के

लिए हो. इसके साथ यह भी उल्लेखनीय है कि खाते में रकम कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक समय तक जमा रहे.

- माता-पिता या अभिभावक लड़की के नाम पर एक ही खाता खोल सकते हैं और केवल दो लड़कियों के नाम से दो अलग-अलग खाते खोले जा सकते हैं. यदि पहले एक लड़की है और उसके बाद जुड़वां लड़कियां पैदा हों या पहली बार मे ही तीन लड़कियां पैदा हों तो ऐसी स्थिति में तीन लड़कियों के नाम बैंक खाते खोले जा सकते हैं.

- सुकन्या समृद्धि खाता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कर छूट प्रदान की जाती है . जमा की जाने वाली रकम आउर परिपक्वता राशि को आयकर की धारा 80 सी के तहत छूट प्राप्त है.

परिपक्व होने से पहले खाता बंद करने की दूसरी शर्त यह है कि सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि अब जमाकर्ता के लिए खाते में रकम जमा करना सम्भव नहीं है और रकम जमा करने में मुश्किल हो रही है तो खाता बंद किया जा सकता है. खाता बंद करने की और अन्य वजह नहीं मानी जाएगी

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश से बेटी का भविष्य उज्ज्वल बनाएं

अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई या शादी के लिए एक मुश्त धनराशि पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजन में निवेश कर सकते हैं. 10 साल से कम उम्र की बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए निवेश कर सकते हैं. 10 साल से कम उम्र की बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है. निवेश के इस बेहतरीन विकल्प में निवेश करने से आयकर बचाने में मदद मिलती है. जो लोग शेयर

बाजार के जोखम से दूर रहना चाहते है और सावधि जमा में गिरते हुए ब्याज दर से परेशान हों, उन्हें सुकन्या समृद्धि योजना उनके लिए बेहतर साबित हो सकती है.

वर्तमान समय में सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% ब्याज दिया जाता है जो आयकर छूट के साथ है. अप्रैल 2015 में यह अधिकतम 9.2% था. घटते हुए ब्याज दर के साथ सुकन्या समृद्धि योजना में भी ब्याज दर में कटौती हुई है, फिर भी अन्य जमाओं से बेहतर ब्याज दर इस योजना में आज भी मिलता है.

एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये इस खाते में जमा किए जा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना में 18 साल की उम्र के बाद बालिका की उच्च शिक्षा के लिए 50% धनराशि निकाली जा सकती है. सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम रु. 250/- के साथ किसी डाकघर या वाणिजियक बैंक की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है. किसी भी परिस्थिति में एक बालिका के दो सुकन्या समृद्धि खाते नहीं खोले जा सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि खाते को खोलने के रु. 250.00 की धनराशि पर्याप्त है, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में यह धनराशि बढायी जा सकती है. यह बढी हुई धनराशि, सुकन्या समृद्धि खाते में एक बार या कई बार में 1.50 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता है.

सुकन्या समृद्धि योजना खाते में धनराशि खाता खोलने के 15 साल तक जमा करायी जा सकती है. एक साल की बच्ची के मामले में जब वह 16 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराई जा सकती है. बच्ची के सुकन्या समृद्धि खाते की परिपक्वता तक ब्याज मिलता रहता है.

किसी सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जहां न्यूनतम धनराशि रु. 250 जमा नहीं हुई है तो उसे 50 रुपए वार्षिक दण्ड (पेनाल्टी) भुगतान कर नियमित कराया जा सकता है. इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली धनराशि सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करनी होगी.

सुकन्या समृद्धि खाते की उपयोगी बातें :

सुकन्या समृद्धि खाते में धनराशि नकद, चेक मांग ड्राफ्ट या किसी ऐसे विलेख से भी जमा की जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके लिए धनराशि जमा करने वाले का नाम और खाता धारक का नाम लिखना जरूरी है. सुकन्या समृद्धि योजना खाते में अंतरण तरीके से भी धनराशि जमा की जा सकती है, अगर उस डाकघर या बैंक शाखा में कोर बैंकिंग प्रणाली है.

परिपक्वता से पहले किन परिस्थियों में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है :

अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुतकर खाता बंद कराया जा सकता है. इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बालिका के अभिभावक को ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी.

सुकन्या समृद्धि योजना खाते को अंतरित करना :

सुकन्या समृद्धि योजना खाता देशभर में कहीं भी अंतरित किया जा सकता है. अगर खाता धारक खोलने की मूल स्थान से कहीं स्थानांतरित हो गया हो, तो खाते का अंतरण बिना किसी शुल्क के अनुमत है. हालांकि इसके लिए खाता धारक या उसके माता-पिता/अभिभावक को स्थानांतरण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. अगर इस तरह का कोई प्रमाणपत्र, सबूत के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया तो खाता अंतरण के लिए डाकघर/बैंक को 100 रुपये अंतरण शुल्क चुकाना पडेगा, जहां खाता खोला गया है.

जिस बैंक या डाकघर में कोर बैंकिंग प्रणाली कार्यरत है, वर्तमान में सभी बैंकों में सी.बी.एस. प्रणाली लागू है, वहां सुकन्या समृद्धि योजना के खाते इलेक्ट्रानिक रूप से अंतरित किए जाते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक धनराशि की निकासी :

खाता धारक की शिक्षा जैसी वित्तीय जरूरतों को पूरी करने के लिए सुकन्या समृद्धि खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है. इसके अंतर्गत पिछले वित्तवर्ष के अंत तक जमा धनराशि की अधिकतम 50% निकासी की जा सकती है. सुकन्या समृद्धि योजना से यह निकासी तभी सम्भव है, जब खाता धारक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो.

सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और सम्बंधित शिक्षण संस्थान से प्रवेश प्रस्ताव और शुल्क पर्ची (जमा किया जाने वाला शुल्क) की आवश्यकता होती है.

सुकन्या समृद्धि योजना खाते की परिपक्वता :

- सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता धारक की शादी, खाता खोलने से लेकर 21 साल की अवधि पूरी होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं की जा सकती है.

- अगर खाता 21 वर्ष पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को यह एफीडेविट देना होगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है. परिपक्वता के समय पास बुक और निकासी पत्र प्रस्तुत करने पर खाता धारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी.

- सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता केवल भारतीय नागरिक ही खोल सकते हैं और इस खाते की परिपक्वता के समय भी खाता धारक को भारतीय नागरिक होना चाहिए, खाता धारक के अप्रवासी भारतीय होते ही खाते में जमा करने की अनुमति नहीं है. अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना खाता नहीं खोला जा सकता है. अगर खाता खोलने के बाद बालिका किसी और देश चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा धनराशि पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा.

सुकन्या समृद्धि योजना – 2021

बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल एवं सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की बचत योजनाओं का संचालन किया जाता है. इन बचत योजनाओं पर आयकर छूट एवं उच्चतर ब्याज दर प्रदान किया जाता है. जिससे कि लोग इन योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सके और बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके. भारत सरकार ने इसके सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई. इस योजना के माध्यम से लाभार्थी द्वारा निवेश एवं एक मुश्त राशि बेटी की शिक्षा या फिर शादी के लिए प्राप्त की जा सकती है. इस खाते में निवेश की न्यूनतम राशि रु. 250 है और अधिकतम सीमा रु. 1.50 लाख रुपये एक वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित है. इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई बेटी बचाओ बेटी पढाओ स्कीम के अंतर्गत शुरू किया गया.

सुकन्या समृद्धि योजना 2021 की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :-

1. **सुकन्या समृद्धि योजना में डिजिटल रूप से खाता संचालन :** इसके लिए धनराशि जमा करने के लिए आईपीपीबी ऐप का प्रारम्भ किया गया है. डाकघर द्वारा भी आईपीपीबी एप का भी आरम्भ किया गया है. इस ऐप के माध्यम से ऑन लाइन पैसे अंतरित किए जा सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना के साथ अन्य डाकघर की योजनाओं में भी पैसा जमा किया जा सकता है. इस ऐप के माध्यम से घर बैठे खाता खोला जा सकता है. यह डिजिटल खाता खोलने के लिए खाता धारक की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है.

2. **सुकन्या समृद्धि योजना खातों पर ऋण :** सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न पीपीएफ योजनाओं में जमा राशि के विरुद्ध ऋण प्राप्त किया जा सकता है. परंतु सुकन्या समृद्धि योजना खातों में यदि बालिका की उम्र 18 वर्ष हो गई है तो इस योजना खाते से अभिभावकों द्वारा निकासी की जा सकती है और इसकी सीमा विगत वित्त वर्ष तक कुल जमा के 50% तक हो सकती है. सुकन्या समृद्धि योजना खातों में की गई निकासी बालिका की शादी, उच्च शिक्षा आदि के लिए की जा सकती है.

3. **सुकन्या समृद्धि योजना- 2021 में 2 बेटियों को लाभ :** सुकन्या समृद्धि योजना -2021 के अंतर्गत एक परिवार की दो बेटियों को ही लाभ मिल सकता है. यदि एक ही परिवार में 2 से अधिक बेटियां है तो इस योजना का लाभ केवल उस परिवार की दो बेटियां ही उठा सकती हैं. लेकिन यदि किसी परिवार में जुड़वां बेटिया हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ अलग-अलग मिलेगा यानी उस परिवार की तीन बेटियां लाभ उठा सकेंगी. जुड़वां बेटियों की गिनती एक ही होगी लेकिन उनको लाभ अलग-अलग दिया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत वह सभी लोग अपनी बेटी का खाता खोल सकते हैं जो अपनी बेटी की पढाई और शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं.

4. **सुकन्या समृद्धि योजना में खाते का अंतरण :** सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक डाकघर से दूसरे डाकघर में या एक बैंक से दूसरे दूसरे बैंक के इस खाते को अन्तरित किया जा सकता है. इस खाते को अंतरित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होता है :-

- सर्वप्रथम अपनी अद्यतन पासबुक और केवाईसी दस्तावेजों के साथ डाकघर/बैंक में जमा करना होगा. इसके लिए बालिकाओं को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है.
- इसके पश्चात अपने डाकघर/बैंक शाखा में इस आशय का आवेदन देना होगा कि आपको अपना खाता अंतरित करवाना है.
- इसके बाद पोस्ट मास्टर/शाखा प्रबंधक आपका पुराना खाता बंद कर देगा और ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपको देगा और आपसे सभी जरूरी दस्तावेजों की मांग की जाएगी.
- अगले चरण में यह ट्रासफर रिक्वेस्ट नए डाकघर/बैंक में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा.
- पहचान और पते के प्रमाण के लिए केवाईसी दस्तावेजों को भी जमा करना होगा.
- अब आपको एक नई पास बुक दी जाएगी जिसमें आपकी शेष जमाराशि प्रदर्शत होगी.
- इसके बाद इस नए खाते से सुकन्या समृद्धि योजना खाते का संचालन कर सकते हैं.

5. **सुकन्या समृद्धि खाते को पुन: संचालित करना :**
   - सुकन्या समृद्धि एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है. इसके अंतर्गत प्रति वर्ष न्यूनतम रु.250 और अधिकतम रु.1.5 लाख जमा की जा सकती है. इस खाते को जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष लाभार्थी को रु.250 जमा करना अनिवार्य है. यदि लाभार्थी किसी वर्ष रु. 250 की राशि जमा नहीं करता है तो फोर उसका खाता बंद हो जाएगा.
   - खाता बन्द होने के बाद खाता पुन: सक्रिय करवाया जा सकता है. इसके लिए लाभार्थी को खाता दोबारा चालू करवाने का फॉर्म भरकर बैंक/डाकघर में जमा करना होगा और बकाया राशि का भुगतान भी करना होगा.
   - माना,यदि आपने लगातार 2 वर्ष सुकन्या समृद्धि खाते में कोई भी धनराशि जमा नहीं की है तो आपको न्यूनतम रु.250 प्रतिवर्ष के हिसाब से दो वर्ष के लिए रु.500 का भुगतान करना होगा और प्रतिवर्ष के लिए रु.50 दण्ड राशि का भी भुगतान करना होगा अर्थात कुल 600 रुपये का कम से कम भुगतान करना होगा.

6. **प्रति वर्ष जमा की जाने वाली राशि :** सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पहले प्रति माह रु. 1000 जमा करने का प्रावधान था जिसे कम करके रु.250 कर दिया है. इस योजना के अंतर्गत रु. 250 से लेकर रु. 1.50 लाख तक प्रतिवर्ष निवेश कर सकते हैं. इस योजना के अन्तर्गत खाता खुलवाने से लेकर 14 वर्ष तक निवेश अनिवार्य है.

सुकन्या समृद्धि खाते में किए गए बदलाव :

इस योजना में सरकार द्वारा पांच बदलाव किए गए हैं जो संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:-

1. **डिफाल्ट खाते में अधिक ब्याज दर :-** सुकन्या समृद्धि योजना खाते में यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम रु.250 जमा नहीं करता है तो उसे डिफाल्ट खाता माना जाता है. 12 दिसम्बर 2019

से नए नियम के अनुसार, अब ऐसे डिफाल्ट खातों पर उसी ब्याजदर पर ब्याज मिलेगा जो इस योजना के तहत निश्चित किया गया हो.

2. **अपरिपक्व खाते को बंद करने के नियम :** नए नियम के अनुसार बालिका की मृत्यु, असाध्य बीमारी होने या अभिभावक की मृत्यु होने पर सहानुभूति के आधार पर परिपक्वता अवधि के पहले खाता बंद किया जा सकता है.

3. **खाते का संचालन :** इस योजना के तहत नए नियम के अनुसार जिस बच्ची के नाम खाता है, वह जब तक 18 साल की नहीं हो जाती है, तब तक अपने खाते का संचालन स्वयं नहीं कर सकती है. जब कि पहले यह आयु 10 वर्ष थी. जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तो अभिभावक को बच्ची के दस्तावेज डाकघर/बैंक में जमा करना होगा.

4. **दो से अधिक बच्चियों के खाते खुलवाना :** इस योजना के अंतर्गत ने नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी दो से अधिक बेटियों का सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे और बेटी के जन्म प्रमाणपत्र के साथ एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना होगा.

5. **अन्य सुधार :** सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में उपर्युक्त बदलावों के अतिरिक्त कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जब कि कुछ हटाए गए हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना – 2021 का उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढाना है और विवाह योग्य होने पर पैसे की कमी न आने देना है. देश में गरीब लोग बचत खाते में अपनी बेटी की पढाई और शादी में होने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सकते हैं और अपनी बेटी का खाता न्यूनतम 250 रुपये में बैंक में खुलवा सकते हैं. इस तरह सुकन्या समृद्धि योजना 2021 से देश की लडकियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह शिक्षित होकर सभ्य समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी. इस योजना के द्वारा लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है.

सुकन्या समृद्धि योजना 2021 से लाभ :

सुकन्या समृद्धि योजना से बालिका एवं अभिभावक/माता-पिता को निम्नलिखत लाभ होते हैं-

1. यह योजना पूरे देश की 10 से कम आयु की बच्चियों को प्रदान किया जाता है.
2. सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लड़कियों के अभिभावक उनके लिए बचत खाते खोल सकते हैं, जब तक वह बालिका 10 वर्ष की नहीं हो जाती है.
3. इस योजना में चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.
4. यह आपकी लड़की की शिक्षा और शादी में मदद करेगा.
5. इस योजना को आप किसी बैंक या डाकघर में आसानी से शुरू कर सकते हैं.
6. इस योजना में अभिभावक या माता-पिता केवल दो लड़कियों के खाते खोलने के लिए अनुमत हैं.

7. जमाकर्ता, लडकी की ओर से खाता खोलने की तारीख से चौदह साल पूरा होने तक खाते में पैसा जमा कर सकता है.

सुकन्या समृद्धि योजना के दस्तावेज :

1. इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए कन्या की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए.
2. आधार कार्ड
3. बालिका के माता-पिता की तस्वीर
4. बालिका का जन्म प्रमाणपत्र
5. निवास प्रमाणपत्र
6. जमा कर्ता (माता-पिता या कानूनी अभिभावक) का पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की शर्तें एवं नियम :

- खाता खुलवाने की आयु: सुकन्या समृद्धि खाता, बालिका की 10 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है.

- खातों की संख्या : एक लड़की के लिए केवल एक ही खाता इस योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है. इस योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए माता द्वारा अलग तथा पिता द्वारा अलग खाता भी नहीं संचालित किया जा सकता है.

- परिवार के खाता धारकों की संख्या : एक परिवार की केवल दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.

- जुड़वा बेटियों की स्थिति में एक परिवार के खाता धारकों की संख्या : यदि जुड़वां या तीन बेटियों का जन्म होता है तो उस स्थिति में 2 से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं.

- खाते का संचालन : सुकन्या समृद्धि खाते को खाता धारक की 18 वर्ष की आयु होने तक खाता धारक के अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है.

- परिपक्वता समय : सुकन्या समृद्धि खाता खुलने के 21 साल बाद या फिर बालिका के विवाह के समय 18 वर्ष की आयु होने के बाद परिपक्व हो जाएगा.

- ब्याज दर : केंद्र सरकार द्वारा हर तिमाही आधार पर ब्याज दर की अधिसूचना जारी की जाती है. 01 अप्रैल 2021 से इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर 7.10% है.

- कर लाभ : आयकर की धारा 80 सी के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत किया गया निवेश कर मुक्त है. इस योजना के अंतर्गत प्राप्त ब्याज तथा परिपक्वता राशि भी कर मुक्त है.

- समयपूर्व खाता बंद करना : सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले (खाता खोलने के 5 वर्ष बाद) बंद कराया जा सकता है.

- खाता धारकी मृत्यु : यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यह खाता बंद कराया जा सकता है.

- जानलेवा रोग की स्थिति : यदि खाता धारक को कोई गम्भीर बीमारी है तो इस स्थिति में यह खाता बंद कराया जा सकता है।

- अभिभवक की मृत्यु : खाता धारक के अभिभावक/माता-पिता (जो खाते का संचालन करते हैं) की मृत्यु की स्थिति में भी यह खाता बंद करवाया जा सकता है.

सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे निकलवाने के नियम व शर्तें:

1. निकासी करने की स्थिति : सुकन्या समृद्धि खात से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50 % तक की निकासी की जा सकती है. यह निकासी बालिका की शिक्षा के लिए की जा सकती है.

2. सुकन्या समृद्धि खाते से निकासी करने की आयु : यह निकासी बालिका की आयु 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद (दोनों में जो पहले हो) की जा सकती है.

3. निकासी : सुकन्या समृद्धि खाते से निकासी एक साथ या किश्तों के रूप में की जा सकती है।

ई – कस्टम

कस्टम विभाग का मुख्य कार्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क की वसूली करना है. कस्टम अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं की गहन जांच करता है जिससे किसी प्रतिबंधित वस्तु के प्रवेश पर रोक लगाई जा सके. केंद्रीय उत्पाद शुल्क की डिजिटल रूप से वसूली के लिए इ-कस्टम प्रणाली शुरू की गई जो संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

❖ वास्तविक इ-सेवाएं/ सूचनाएं प्रदान की गई :

ई - कस्टम की निम्नलिखित सेवाएं कर वसूली के लिए वर्तमान समय में प्रचलन में हैं-

1. चालान प्रविष्ट
2. जॉब स्टेटस ट्रैकिंग
3. डाकूमेंट ट्रैकिंग स्टेटस
4. ड्रा बैंक इंक़ायरी
5. डी.जी.एफ.टी शिपिंग बिल इंटरग्रेशन स्टेटस
6. भारतीय रिजर्व बैंक का इडीपीएमएस स्तर
7. आई कोड/बिन स्तर की जांच
8. आई इ एस के अनुसार सारांश रिपोर्ट
9. सी बी के अनुसार सारांश रिपोर्ट

10. डीजीएफटी से अनुज्ञा पत्र
11. वेयर हाउस कोड की जांच

❖ ई-सेवाएं :

जिसकी सूचना दी जा रही हैं/ प्रदर्शित की जा रही हैं:- इ-कस्टम की वे सेवायें जो कर प्रदाताओं को देने की प्रगति में हैं :-

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इलेक्ट्रानिक दस्तावेज भरना.
- प्रविष्टियों का बिल
- लदान बिल
- आयातित वस्तुओं का घोषणा पत्र
- निर्यातित वस्तुओं का घोषणा पत्र
- कंसोल माल घोषणा पत्र
- सूचना और अधिसूचना
- आईसीइजीएटीइ पंजीकरण
- डीवी के लिए माहवार क्रमांक
- उत्पाद पंजीकरण स्तर

❖ सेंट्रल एक्साइज/सेवाकर सम्बंधी इ-सेवाएं, जिनकी सूचनाएं जारी/ प्रदर्शित की जा रही हैं:-

- पंजीकरण
- अस्थाई मूल्यांकन
- इलेक्ट्रानिक रिटर्न फाइलिंग
- ई- भुगतान
- लर्निंग मैनेजमेंट प्रणाली
- दावे और सूचनाएं
- शिकायत निवारण
- धन वापसी

आयात और निर्यात में बृद्धि के साथ-साथ भुगतान में आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए इ-कस्टम प्रणाली विशेष सहायक है. इ- कस्टम के लागू होने से समय की बचत होती है और कस्टम ड्यूटी के रूप में राजस्व की प्राप्ति शीघ्रता से होती है. अत: सरकार को राजस्व में वृद्धि के लिए इ-कस्टम प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करना होगा.

सार्वजनिक भविष्य निधि
(Public Provident Fund)

भारत सरकार को सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक आय की आवश्यकता होती है. जिसे पूरा करने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्रोतों के अतिरिक्त सार्वजनिक भविष्यनिधि खातों के माध्यम से भी आय प्राप्त करती है. सार्वजनिक भविष्य निधि भारत में बचत एवं कर बचत करने के लिए प्रयुक्त एक सरकारी जमा योजना है. बहुत से लोग इसे सेवानिवृत्ति के समय धन प्राप्ति का साधन भी मानते हैं.

पी पी एफ खातों से बैंक को लाभ –

पी पी एफ खातों को खोलेने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीयक्रत बैंक को मिलने के बाद से नया दौर बैंकिंग के व्यवसाय में जुड़ गया है ,बैंक को नया ग्राहक क्लस्टर मिला है जो बैंक में पी पी एफ खाते खोलेने के बहाने बैंक से जुड़ता है और बैंक से अन्य योजनाओ का लाभ लेता है बैंक को पी पी एफ के प्रति ट्रैंज़ैक्शन रु40/ और डिजिटल ट्रानजेक्स्न के लिए प्रति ट्रैंज़ैक्शन रु9/मिलता है . इसके अलावा बैंक के पी पी एफ खाते के ग्राहक बैंक के अन्य उत्पाद जैसे बचत खाते ,आवर्ती जमा खाते ,आवास ऋण ,वाहन ऋण , शिक्षा ऋण ,ए टी एम कार्ड ,मोबाइल बैंकिंग , इंटरनेट बैंकिंग आदि बैंकिंग उत्पादों की बिक्री भी करी जाएगी इससे बैंक का व्यवसाय काफी बड़ेगा।

अभी तक केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही पी पी एफ खाते खोले जा सकते थे मगर अब सभी रास्ट्रीयक्रत बेंकों को पीपीएफ खाते खोलेने का अधिकार मिलने के बाद से आमजन को अपने जमा धन पर आयकर में छूट के साथ साथ अधिक ब्याज की प्राप्ति भी होती

लम्बे समय के लिए निवेश की दृष्टि से शेयर बाजार एक अच्छा विकल्प है, किन्तु उसमें जोखिम फैक्टर अधिक होने के कारण आम निवेशक उससे दूर ही रहते हैं. ऐसे लोग आमतौर से निवेश के लिए सरकारी बचत पत्र, बीमा या फिर सावधि जमा को वरीयता देते हैं. एक समय था जब राष्ट्रीय बचत पत्रों का आय कर से छूट प्राप्त करने के लिए निवेश होता था, लेकिन जब से उसमें ब्याज दरें कम हुई हैं, आम आदमी के मध्य उसका आकर्षण काफी कम हो गया है.

आज जीवन बीमा पालसी काफी लोगों की पसंद है. लेकिन उसे भी सर्विस टैक्स के दायरे में ले जाने के कारण बीमा जगत भी काफी प्रभावित हुआ है और अब वह जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से तो उपयोगी है, किन्तु इनकम टैक्स बचत अथवा निवेश की दृष्टि से उतना लाभप्रद नहीं रहा है. इसी प्रकार सभी प्रकार की सावधि जमाओं के लिए पैन नम्बर आवश्यक हो जाने, लम्बी अवधि की एफ.डी. में ब्याज दरें कम होने तथा उसका लाभ इन्कम टैक्स के दायरे में आ जाने के कारण उसमें भी अब लोगों को उतना रूझान नहीं रहा है। ऐसे में लम्बे समय के निवेश, एक सुरक्षित और लाभप्रद विकल्प के रूप में सार्वजनिक भविष्य निधि खाता एक बेहतर विकल्प है।

पी.पी.एफ. खाता क्या है?

लम्बे निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पी.पी.एफ. खाता को प्रोत्साहित किया जाता है पहले यह खाता सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक में ही खुल सकता था, किन्तु अब अन्य बैंकों को पी.पी.एफ. खाते के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गयी है. पीपीएफ खाते को शुरू करने के लिए सिर्फ 100 रुपये की आवश्यकता होती है. अत: इसमें कम से कम पैसा कमाने वाला भी धन निवेश कर सकता है. इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा में आवेदन दिया जा सकता है. भारतीय स्टेट बैंक के अलावा कई और ऐसे बैंक हैं जो इस सुविधा को अपने ग्राहकों के लिए देते हैं. बैंक आफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक आफ बडौदा, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया आदि सरकारी बैंकों में पीपीएफ खाता खोला जा सकता है. डाकघरों में भी इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है.

पीपीएफ खाता खोलने के नियम :

पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड 1968 के अंतर्गत कई तरह के नियमों को सरकार ने लागू किया है. इसके लिए ग्राहकों को पीपीएफ खाता खोलने के लिए योग्य एवं सही दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:

- एक व्यक्ति केवल एक ही पीपीएफ खाता रख सकता है. संयुक्त पीपीएफ खाता नहीं खोला जा सकता है. व्यक्ति भारत सरकार का नागरिक और 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए, इसके लिए अधिकतम आयु की सीमा तय नहीं की गयी है.

- अनिवासी भारतीय (एनआराआई) इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, तथापि ऐसे लोग जो पीपीएफ खाता खोलने के बाद विदेश चले जाते हैं वे पीपीएफ खाते की अवधि अर्थात 15 वर्ष की सीमा तक खाते का संचालन कर सकते हैं.

- 13 मई 2005 से हिंदू अविभाजित परिवारों को पीपीएफ खाता की सुविधा बंद कर दी गयी है.

- विदेशी नागरिक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

- बैंक खाता खोलने की तरह पीपीएफ खाता खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए'(केवाईसी) दस्तावेजों की जरुरत होती है.

पी.पी.एफ. खाता एकल प्रकार का खाता होता है, जो स्वयं अथवा नाबालिग बच्चे के नाम से भी खोला जा सकता है इसे पति-पत्नी दोनों के नाम से अलग-अलग भी खोला जा सकता है। यह खात आमतौर 15 वर्षों के लिए डिजाइन है, जिसे 15 वर्षों के बाद भी 05-05 वर्ष की अवधि के लिए जब तक आप चाहें, बढ़ाया जा सकता है इसके अतिरिक्त खाते की परिपक्वता के बाद भी यदि इसका पैसा एकाउंट में जमा रहता है, तो भी उस पर ब्याज प्राप्त होता रहता है. इस खाते के संचालन के लिए उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. इसकी एक अन्य विशेषता यह भी है कि खाता न्यायालय से कुर्की मुक्त होता है.

पीपीएफ खाता की निष्क्रियता और सक्रियता:

पीपीएफ खाते को निरंतर चालू रहने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम रु.500 जमा करने की जरुरत होती है. यदि किसी वर्ष ऐसा न हो सके तो खाता निष्क्रिय हो जाता है.

इस परिस्थिति में खाता धारक को अपना खाता पुन: शुरू करने के लिए 50 रुपए दण्ड भरना होता है. ये पेनाल्टी जितनी बार खाता निष्क्रिय होता है उतनी बार खाताधारक को लगती है. उदाहरण के लिए यदि किसी खाताधारक का खाता तीसरे,चौथे और पांचवे साल तक बंद रहता है तो इसे पुन: सक्रिय करने के लिए 50 रुपये की दर से 3 साल के पेनाल्टी 150 रुपए और इन तीन सालों का 500 रु. की न्यूनतम राशि के हिसाब से 1500 रुपए और छठवें साल के 500 रुपए अर्थात कुल 2000 रुपए पेनाल्टी के अतिरिक्त जमा करना होगा.

पीपीएफ खाता बंद करने के नियम

पीपीएफ खाते को परिपक्वता के पहले बंद नहीं किया जा सकता है और खाता निष्क्रिय हो जाने पर पंद्रह वर्षों तक उसका पैसा उठाया नहीं जा सकता है. 15 वर्षों की परिपक्वता पूरी हो जाने पर खाताधारक अपने खाते में जमा सम्पूर्ण राशि एक ही साथ प्राप्त कर सकता है. तथापि अपरिपक्व निकासी सातवें वित्तीय वर्ष की शुरुआत में की जा सकती है. अपरिपक्व भुगतान की अधिकतम राशि खाते में मौजूद 50% धनराशि के बराबर होनी चाहिए जो चौथे वर्ष की समाप्ति पर पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें धनराशि की निकासी की जाती है अथवा पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर जो कम हो.

नामांकन सुविधा :

एक या अधिक व्यक्तियों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है. नामिनी का हिस्सा ग्राहक द्वारा निर्धारित किया जाता है.

परिपक्वता अवधि से पहले खाता बंद करना:

सामान्य परिस्थितियों में 15 साल की परिपक्वता के पहले पीपीएफ खाता बंद नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थियों में इसे बंद करने की सुविधा आपको मिल सकती है. 18 जून 2016 से एक अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार विशेष परिस्थितियों में पीपीएफ खाता से अपरिपक्वता भुगतान

को आसान बना दिया है. नए नियमों के अनुसार निम्नांकित परिस्थितियों में अपरिपक्व भुगतान कर सकते हैं:-

1. अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाते का नामिनी या कानूनी वारिस खाता बंद करने के लिए आवेदन कर सकता है. ऐसी परिस्थितियों में बिना दण्ड/कटौती के पूरा भुगतान मिल जाएगा.

2. खाता धारक के स्वयं या अपने निकटतम सम्बंधियों के किसी गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु चिकित्सा आधार अपरिपक्व भुगतान की अनुमति दी जा सकती है और आपको सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. यहां निकटतम सम्बंधियों से आश्य पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता से है.

3. खाता धारक के स्वयं या अपने निकटतम सम्बंधियों के किसी गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु चिकित्सा आधार अपरिपक्व भुगतान की अनुमति दी जा सकती है और आपको सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. यहां निकटतम सम्बंधियों से आश्य पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता से है.

4. खाता धारक के स्वयं या अपने निकटतम सम्बंधियों के किसी गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु चिकित्सा आधार अपरिपक्व भुगतान की अनुमति दी जा सकती है और आपको सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. यहां निकटतम सम्बंधियों से आश्य पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता से है.

5. खाता धारक को स्वयं या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी अपरिपक्व भुगतान की अनुमति दी जा सकती है. इसके देश/विदेश के उच्च शिक्षण संस्थान का प्रवेश प्रमाणपत्र और संस्था के शुल्क का विवरण देना होगा.

पी.पी.एफ. का लाभ:

पी.पी.एफ. खाते में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रू0 जमा करना आवश्यक (न्यूनतम राशि न जमा करने पर रू0 50 का अर्थदण्ड लागू) होता है. इस खाते में प्रतिवर्ष अधिकतम 1.5 लाख रू0 जमा किये जा सकते हैं। यह धनराशि एकमुश्त अथवा 12 किश्तों में जमा की जा सकती है। इस खाते में जमा की जाने वाली राशि पर आयकर की धारा 80सी के इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है. इसके अतिरिक्त इसपर मिलने वाले ब्याज तथा इसकी परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर भी इनकम टैक्स से छूट प्राप्त होता है.

पी.पी.एफ. खाते को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सरकार ने इसे बाजार से सीधे जोड़ दिया है, जिसकी वजह से इसके बाँड पर जो लाभ प्राप्त होता है, उसी के अनुपात में निवेशको को ब्याज दर प्रदान की जाती है. इसकी घोषण हर साल सरकार द्वारा की जाती है. पिछले वित्तीय वर्ष में पी.पी.एफ. पर 8.70 फीसदी ब्याज प्रदान किया गया है.

पी.पी.एफ. में ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है, लेकिन इसका आधार हर माह की 5 तारीख को खाते में उपलब्ध राशि के आधार पर किया जाता है. इसलिए खाता धारक को चाहिए कि वह माह की 01 से लेकर 05 तारीख के मध्य ही इस खाते में रूपये जमा करे, जिससे उसे अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके.

पीपीएफ की नवीनतम ब्याज दर:

सरकार पीपीएफ पर ब्याज दर की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा करती है. वास्तव में सरकार सभी डाकघर बचत योजनाओं के ब्याज की हर तिमाही में समीक्षा करती है. इस कारण पीपीएफ पर ब्याज दर में तेजी से बदलाव हो सकता है. वर्तमान में पीपीएफ पर ब्याज दर 7.6% हो गई है. पीपीएफ की नई दर जनवरी 2018 से लागू है. सरकार पीपीएफऔर एनएससी पर एक समान ब्याज दर देती है. इसलिए अगर आपको एनएससी की ब्याज दर मालूम है तो पीपीएफ की ब्याज दर ज्ञात हो जाएगी.

15 साल पहले पीपीएफ खाता पर ब्याज दर बहुत अच्छी ब्याज दर मिलती थी,लेकिन समय गुजरने के साथ महंगाई के हिसाब से इसकी ब्याज दर में भी गिरावट आई है. नीचे दी गई तालिका में आप पिछले वर्षों में लागू पीपीएफ ब्याज दर को देख सकते हैं:-

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाजार के अनुसार पीपीएफ के ब्याजदर में भी बदलाव आए हैं, लेकिन ये सरकार की ओर से जारी बाण्ड दर से फिर भी कहीं बेहतर हैं

अन्य योजनाओं के मुकाबले पीपीएफ की ब्याज दर :

पीपीएफ योजना अन्य सभी मौजूद सुरक्षित बचत योजनाओं के मुकाबले उच्चतम ब्याज दर देती है। हालांकि, इपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या सम्मृद्धि खाता ऐसी बचत योजनाएं हैं जो पीपीएफ खाते से बेहतर ब्याज देती हैं। लेकिन, ये योजनाएं प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं हैं.

इपीएफ जहां सिर्फ कर्मचारियों के लिए है। इसमें खाता तभी खुल सकता है, जबकि आपका कोई नियोक्ता हो, अर्थात आप किसी कम्पनी या संस्थान में काम करते हों.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सिर्फ 60 साल से ऊपर उम्र वालों के लिए है.

सुकन्या सम्मृद्धि खाता सिर्फ 18 वर्ष से कम की बालिकाओं के लिए है.

पीपीएफ खाता कोई भी खुलवा सकता है। यहां तक कि अवयस्क और बच्चों का भी खाता खुलवाया जा सकता है.

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीपीएफ खाता एकमात्र ऐसा सामान्य खाता है जो आपके निवेश पर सबसे बेहतर ब्याज दर देता है. एक बात और यह खाता सुरक्षित है क्यों कि पीपीएफ स्वयं भारत सरकार की बचत योजना है, इसलिए इसमें जमा रकम और ब्याज की जिम्मेदार सरकार की होती है. अर्थात हम अपनी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा को लेकर आप पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं

पीपीएफ ब्याज आपके खाते में कैसे जुड़ता है?:

पीपीएफ खाता में जमा रकम पर आपको ब्याज कितना और कैसे मिलेगा, इसको जानने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए :

- पीपीएफ पर ब्याज दर वार्षिक आधार पर तय होती है।
- आपके हर महीने के बैलेंस पर हर महीने का ब्याज की गणना की जाती है। इसलिए सालाना ब्याज दर को 12 से भाग देकर मासिक ब्याज दर निकालते हैं और उसी के हिसाब गणना की जाती है।
- ब्याज की हर महीने गणना के बावजूद इसका भुगतान वित्तीय वर्ष के अंत में होता है।
- यहीं कारण है कि वित्तीय वर्ष के दौरान आपके खाते में सिर्फ आपकी ओर से जमा रकम ही दिखती है. मार्च के बाद ब्याज जुड़ जाने पर जमा शेष में एकमुश्त परिवर्तन आता है. यही प्रक्रिया अगामी वर्षों में जारी रहती है।

पीएफ ब्याज पर कर लाभ:

पीपीएफ खाता आपको टैक्स बचत के पूरे फायदे देता है. यह सरकार की अपने नागरिकों को ट्रिपल EEE (छूट-छूट-छूट) श्रेणी में कर लाभ प्रदान करती है, अर्थात निवेशकर्ता द्वारा जमा करने से लेकर भुगतान तक कोई भी कर नहीं चुकाना पडता है. इसमें निवेश की गई रकम, उस पर मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता राशि सब पूरी तरह कर मुक्त होता है. इसकी तुलना में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और कर बचत के लिए सावधि जमा पर मिलने वाला ब्याज करयुक्त होता है.

पीपीएफ खाता, आयकर अधिनियम की घारा 80 सी के अंतर्गत मिलने वाला कर लाभ भी देता है.

पीपीएफ अकाउंट के 5 बड़े फायदे

आप चाहें तो 100 रुपये में भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं. हर साल कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. आप चाहें तो यह निवेश साल में 12 बार में कर सकते हैं. साल में एक लमसम अमाउंट भी जमा कर सकते हैं.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF को सेविंग के साथ निवेश का सबसे अच्छा साधन मानते हैं. जो लोग निवेश में जोखिम लेने से कतराते हैं, उनके लिए यह फंड खास तौर पर बनाया गया है. कम जोखिम में इस फंड से लंबी अवधि में भरपूर रिटर्न मिलने की संभावना होती है. पीपीएफ का बड़ा फायदा यह है कि इसके निवेश और बचत दोनों पर टैक्स की छूट मिलती है. आइए PPF अकाउंट के 5 बड़े फायदे जानते हैं-

1-रिस्क फ्री, गारंटीड रिटर्न

PPF को भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है. इसलिए पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह पूरी तरह से रिस्क फ्री है. इसके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर भी सरकार गारंटी देती है. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कर्ज देने वालों को जब पैसे देने की बात आए तो कोर्ट भी इस अकाउंट के फंड को लेकर कोई फरमान नहीं सुना सकता.

2-पीपीएफ के कई टैक्स फायदे

PPF की खासियत इसके EEE यानी कि इग्जेम, इग्जेम, इग्जेम टैक्स स्टेटस में है. भारत में अकेला सिर्फ इसी निवेश को ट्रिपल ई टैक्स छूट का फायदा मिला है. इस खाते में आपकी जमा की गई 1.5 लाख रुपये की रकम पूरी तरह से ट्रक्स फ्री होती है. यहां ट्रिपल ई का मतलब है- जो पैसा निवेश करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता. उस पर जो ब्याज मिलता है वह भी टैक्स फ्री है और 15 साल बाद मैच्योरिटी के रूप में जो राशि मिलती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता. इसलिए टैक्स बचाने के लिहाज से पीपीएफ को सबसे सक्षम निवेश माना जाता है।

3-छोटी बचत, अच्छा रिटर्न

PPF में आपको कितने रुपये जमा करने हैं, इसे लेकर कई तरह की फ्लेक्सबिलिटी या छूट मिलती है. आप चाहें तो 100 रुपये में भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं. हर साल कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. आप चाहें तो यह निवेश साल में 12 बार में कर सकते हैं या एक लमसम अमाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं. पीपीएफ पर अभी सरकार की तरफ से 7.10 परसेंट का ब्याज मिल रहा है. पहले इसकी मात्रा 7.60 परसेंट थी. इस खाते में ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है.

4- पैसे की निकासी और लोन की सुविधा

पीपीएफ अकाउंट का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है. यानी कायदे से इससे पहले पैसे नहीं निकाल सकते. लेकिन पीपीएफ के फंड का इस्तेमाल ग्राहक कई तरह से कर सकते हैं. दो साल बाद इस फंड पर लोन ले सकते हैं. दो साल बाद कुल जमा पैसे का 25 परसेंट तक लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि लोन दो साल पूरा होने (तीसरा साल शुरू होने पर) और 6 साल के पहले तक लिया जा सकता है. लोन के पैसे का रीपेमेंट 36 महीने के अंदर करना होगा. पीपीएफ पर जितना परसेंट ब्याज मिलता है, उससे 2 परसेंट ज्यादा ब्याज लोन की राशि पर चुकाना होता है. 7 साल पूरा होने के बाद फंड से कुछ पैसे निकाल सकते हैं.

PPF अकाउंट की मियाद 15 साल की होती है. इस अवधि के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाता है. मैच्योरिटी का पैसा या तो ग्राहक ले सकता है या चाहे तो उसे फिर निवेश कर सकता है. ग्राहक को 15 साल बाद और 5 साल निवेश की सुविधा मिलती है. यानी कि मैच्योरिटी के पैसे को अगले 5 साल के लिए जमा कर दिया जाए. अब इस अकाउंट में जो भी पैसे जमा किए जाएंगे उस पर ब्याज तो मिलेगा ही, पहसे से मैच्योरिटी की राशि भी इस फायदे में जुड़ जाएगी. इस तरह कुछ हजार का निवेश कई लाख रुपये में तब्दील कर सकते हैं.

खाते में जमा की गयी पूरी राशि निश्चित समय अर्थात 15 वर्ष पूरा होने के बाद ही उठाई जा सकती है. हांलाकि आवश्यकता होने पर ग्राहक अपने पीपीएफ खाते से पैसा एक निश्चित सीमा अर्थात 50% तक निकासी कर सकता है. जमाकर्ता के मृत्यु होने पर पीपीएफ खाता बंद हो सकता है.

पीपीएफ खाता के बिरुद्ध ऋण भी लिया जा सकता है. इसके लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें हैं. ऋण तीसरे वर्ष से छठवें वर्ष के बीच लिया जा सकता है. ये ऋण पीपीएफ खाते की कुल राशि का 25% तक लिया जा सकता है, जिसे 24 महीनों के अंदर लौटाना होता है. ऋण पर लगने वाली ब्याज दर पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याजदर से 2% अधिक होती है.

पीपीएफ खाता सम्बंधी बिंदुवार मुख्य जानकारी निम्नवत हैं :

क्र.	योग्यता	भारतीय
1	आयुसीमा	नहीं
2	नामांकन	वयस्क स्वयं अपने नाम से खाता खोल सकता है लेकिन अवस्यक के खाते में जिम्मेदारी नैसर्गिक/विधिक संरक्षक की होगी .
3	स्थान	पीपीएफ की सुविधा डाकघर, सरकारी बैंक व निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई में है .
4	अधिकतम खाता संख्या	एक व्यक्ति का केवल पीपीएफ खाता हो सकता है .
5	न्यूनतम वार्षिक राशि	500रुपये
6	अधिकतम वार्षिक राशि	150000रुपये
7	वार्षिक ब्याज दर	8 %अक्टूबर 2018 से लागू
8	लॉक-इन अवधि	न्यूनतम 15वर्ष और फिर 5साल के ब्लॉक में
9	खाता अंतरण की सुविधा	हाँ
10	दण्ड	अगर न्यूनतम वार्षिक अंशदान से कम योगदान करते हैं तो 50रुपये का वार्षिक दण्ड देना होगा .
11	धनराशि जमा करने के तरीके	नकद, मांग ड्राफ्ट या चेक के साथ एक मुश्त भुगतान या अधिकतम 12किश्तों द्वारा .

12	आंशिक निकासी	चौथे वर्ष के अंत में 50% राशि, पारिवारिक इलाज व स्वयं की उच्च शिक्षा हेतु
13	ऋण सुविधा	खाताधारक तीसरे वर्ष में उधार ले सकता है.
14	कराधान	कोई कर)टैक्स (नहीं .
15	ब्याज सुविधा	मूलधन एवं ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा .
16	टैक्स सुविधा	आयकर की धारा 80सी के तहत मूल एवं ब्याज दोनों कर मुक्त हैं .

5, 10 और 15 वर्षों में भविष्य निधि खाता में जमा धन राशि में वृद्धि (सांकेतिक चित्र)

आई आर सी टी सी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आई आर सी टी सी से बहुत पुराना व्यवसायिक संबंध है . हमारे बैंक ने पहले से रेल्वे टिकिट के लिए और अपने ग्राहकों को घर बैठे अपनी यात्रा हवाई जहाज,ट्रेन ,बस इत्यादि के लिए ऑन लाइन सेंट मोबाइल ,सेंट भीम ,इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा घर बैठे ही टिकट लेने की सुविधा अपने ग्राहकों को दे रहा है ,इसके लिए हमारे बैंक ने आईआरसीटीसी से टाइअप किया हुआ है और हमारे बैंक के सभी ग्राहकों द्वारा बैंक के डिजिटल प्लैटफ़ार्म से किए गए रेल ,हवाई ,बस के आरक्षण की सेवा के बदले बैंक को रेलवे से अच्छा कमिशन भी मिलता है और अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंक के एप से घर बैठे रिजरवेसन कराने की सुविधा भी मिलती है साथ ही इन ग्राहकों के द्वारा बैंक की इस सुविधा को अन्य लोगों को बताए जाने से बैंक का प्रचार भी होता है और नए ग्राहकों के बैंक से जुडने का फायदा भी मिल सकता है.

16 अप्रैल, 1853 को जब भारत में पहली रेलगाड़ी ने बम्बई (मुम्बई) से थाणे के मध्य 34 किमी की दूरी तय की थी, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय रेल विश्व में परिचालन में अपना दूसरा स्थान बना लेगी, लेकिन यह आज का सच है।

तब से लेकर अब तक भारतीय रेलवे ने बहुत तेजी से प्रगति की है और इस समय यह एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल-प्रणाली है। इसमें लगभग 14 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो देश के किसी भी उपक्रम में सबसे अधिक है तथा केन्द्रीय कर्मचारियों की कुल संख्या का 40% है।

गौरतलब है कि भारतीय रेल नेटवर्क को 17 क्षेत्रों में बाँटा गया है। इनके प्रशासन एवं प्रबन्धन के लिए 21 रेलवे बोर्डों का भी गठन किया गया है । प्रत्येक रेलवे बोर्ड, केन्द्रीय कैबिनेट के रेलवे मन्त्रालय के अधीन होता है।

भारत में रेल इंजनों का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तथा भोपाल स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नामक कारखानों में किया जाता है। सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए पेराम्बूर एवं चेन्नई में इण्टीग्रल कोच फैक्ट्री तथा कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री हैं।

भारतीय रेल अन्तर्राष्ट्रीय रेल नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 'समझौता एक्सप्रेस' का परिचालन वर्ष 2004 से प्रारम्भ हुआ था । इसके बाद वर्ष 2008 से भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 'मैत्री एक्सप्रेस' का परिचालन किया गया।

भारतीय रेल पिछले कुछ वर्षों से न केवल अपने देश में रेल डिब्बे और इंजन के निर्माण में आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि यह अन्य देशों को इसकी आपूर्ति भी करती है । आज देशभर में रेलों का व्यापक जाल बिछा हुआ है।

इस समय देश में सात हजार से अधिक रेलवे स्टेशन हैं तथा रेलमार्ग की कुल लम्बाई 63 हजार किमी से अधिक है, जिसके लगभग 28% भाग का विद्युतीकरण हो चुका है।

आज भारत की रेल पटरियों पर प्रतिदिन 19 हजार से भी अधिक ट्रेनें दौड़ती रहती हैं, जिनमें 12 हजार यात्री ट्रेनें और 7 हजार मालवाहक ट्रेनें हैं । भारतीय रेलवे में कई प्रकार की रेलगाड़ियां हैं।

मेल एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त, पर्यटन के लिए विशेष रेलगाड़ियाँ भी चलाई जाती हैं । पैसेंजर रेलगाड़ियाँ महानगरों की जीवन-रेखा का कार्य करती हैं । महानगरों के अतिरिक्त भी कुछ क्षेत्रों में पैसेंजर रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाता है।

राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ, जनशताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरन्तो इत्यादि यहाँ की कुछ अतिविशिष्ट रेलगाड़ियां हैं । भारतीय रेलवे समय-समय पर विशेष प्रकार की रेलगाड़ियों का परिचालन भी करवाता है।

भारत में कुछ अति विशिष्ट रेलगाड़ियाँ हैं, जो अपनी विशेषता के लिए विश्वभर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं । इनमें डेक्कन ओडिसी, पैलेस ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, फेयरी क्वीन एवं रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स नामक रेलगाड़ियाँ शामिल हैं ।

इसकी सहायता से कृषि एवं औद्योगिक विकास को भी गीत प्राप्त हुई है । आजादी के बाद से भारतीय रेल ने अनन्त उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। कवि हरिवंशराय बच्चन की ये पंक्तियाँ भारतीय रेल पर बिलकुल सही प्रतीत होती हैं-

"रुके न तू, थमे न तू, झुके न तू, थमे न तू
सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू ।

ई-स्टैम्पिंग

ई-स्टैम्पिंग क्या है और यह कैसे की जाती है?

संपत्ति की खरीद या बिक्री के प्रत्येक लेन-देन के लिए, लेनदेन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, आपको स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा। जबकि, पहले खरीदारों को संपत्ति पंजीकरण के लिए उप-पंजीयक के कार्यालय में खुद को प्रस्तुत करने पर भुगतान करना पड़ता था, अब वे ऐसा ऑनलाइन कर सकते हैं। ई-स्टांपिंग से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस लेख में, हम आपको वह सब कुछ बताएंगे जो आपको भारत में ई-स्टांपिंग के बारे में जानने की जरूरत है।

स्टाम्प पेपर की आवश्यकता क्यों है?

अपनी संपत्ति खरीदने, बेचने या यहां तक कि पट्टे पर देने या डीड बनाने (संक्षेप में, सभी लेन-देन से संबंधित गतिविधियों) के लिए, आपको केंद्र या राज्य के अधिकारियों को संपत्ति पर स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। तो, आप इसका भुगतान कैसे करते हैं? सरकार को इस तरह के भुगतान विभिन्न मूल्यों के स्टांप पेपर की खरीद के माध्यम से किए जाते हैं, जैसा कि अधिकारियों द्वारा तय किया जाता है। एक बार जब आप भुगतान कर देते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार को आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। यह आपके लिए भविष्य के संदर्भ के रूप में भी कार्य करता है।

स्टाम्प शुल्क से संबंधित कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं:

- मुझे स्टाम्प शुल्क का भुगतान कहाँ करना चाहिए?
- लेन-देन किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है?
- मुझे कितना स्टांप शुल्क देना चाहिए?

प्रक्रिया सरल लग सकती है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के तीन तरीके हैं। हालाँकि**,** सभी राज्यों में नीचे सूचीबद्ध तीनों सुविधाएं नहीं हो सकती हैं:

1. ई-मुद्रांकन
2. गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर
3. फ्रेंकिंग मशीन

आप में से जो तकनीकी रूप से जानकार हैं, उनके लिए ई-स्टैम्पिंग, जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्पिंग भी कहा जाता है, सबसे सरल प्रक्रिया है।

भारत में ई-स्टांपिंग

जुलाई 2013 से, भारत सरकार ने नकली और त्रुटियों की घटनाओं को कम करने के लिए, ई-स्टैम्पिंग सुविधा की शुरुआत की। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) देश में उपयोग किए जाने वाले सभी ई-स्टांप के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) है। उपयोगकर्ता पंजीकरण हो या प्रशासन, ई-स्टांपिंग के लिए आवेदनों से लेकर इन अभिलेखों को बनाए

रखने तक, SHCIL इन सभी को करने के लिए अधिकृत है। इसके पास अधिकृत संग्रह केंद्र या एसीसी (अनुसूचित बैंक) भी हैं जो इसके लिए पूछने वालों को प्रमाण पत्र जारी करते हैं।

अपने दस्तावेज़ों को ई-स्टाम्प कैसे प्राप्त करें?

चरण 1: एसएचसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यदि आपका राज्य ई-स्टैम्पिंग सुविधा की अनुमति देता है, तो यह वेबसाइट पर दिखाई देगा। नागरिक एनसीटी दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चंडीगढ़ के लिए अपने घर की सुविधा से ऑनलाइन स्टांप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र प्रिंट कर सकते हैं। COVID-19 महामारी के कारण, SHCIL ने इस बात पर जोर दिया है कि जहां सुविधा उपलब्ध है, नागरिकों को इसका उपयोग करना चाहिए।
क्या है ई-स्टैम्पिंग

चरण 2:
ड्रॉपडाउन सूची से राज्य का चयन करें। उदाहरण में, हमने दिल्ली के एनसीटी को चुना है।

चरण 3:
आपको एक आवेदन भरना होगा। होमपेज पर, 'डाउनलोड' टैब पर जाएं और उस एप्लिकेशन का चयन करें जिसकी आपको आवश्यकता है। मान लीजिए, प्रासंगिक आवेदन वह है जहां स्टांप शुल्क भुगतान 501 रुपये से कम है। बस फॉर्म डाउनलोड करें और इसे भरें।
ई-स्टाम्प पेपर
अचल संपत्ति में ई-स्टैम्पिंग

चरण 4:
स्टाम्प प्रमाणपत्र के लिए आपको भुगतान के साथ इस फॉर्म को जमा करना होगा।

ई-स्टांपिंग सुविधा वाले राज्यों की सूची

अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
आंध्र प्रदेश
असम
बिहार
छत्तीसगढ
चंडीगढ़
दादरा और नगर हवेली
दमन और दीव
दिल्ली
गुजरात
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर

झारखंड
कर्नाटक
उड़ीसा
पुदुचेरी
पंजाब
राजस्थान Rajasthan
तमिलनाडु
त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

मैं ई-स्टांपिंग के लिए स्टांप शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूं?

आप नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा स्टांप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं या यहां तक कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। एसीसी में, आप नकद में भुगतान कर सकते हैं, या उपयोग या चेक या डीडी का उपयोग कर सकते हैं।

ई-स्टांपिंग के लिए ऑनलाइन स्टांप शुल्क का भुगतान कैसे करें?

चरण 1:

SHCIL के नए उपयोगकर्ता आगे बढ़ने के लिए 'Register Now' पर क्लिक कर सकते हैं।

स्टाम्प शुल्क ऑनलाइन भुगतान

चरण 2:

आवश्यक जानकारी भरें। एक यूजर आईडी, पासवर्ड, सुरक्षा प्रश्न चुनें और अपने बैंक खाते का विवरण भरें।

स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

चरण 3:

आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे गए एक सक्रियण लिंक के माध्यम से पुष्टि होने पर, आप सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

एसएचसीआईएल

चरण 4:

अपने सक्रिय यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मॉड्यूल में लॉग इन करें। चरण

चरण 5:

ड्रॉप-डाउन मेनू से राज्य (उदाहरणार्थ, 'दिल्ली') का चयन करें। फिर 'निकटतम एसएचसीआईएल शाखा' विकल्प का चयन करें और नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/एनईएफटी/आरटीजीएस/एफटी।

चरण 6:
नागरिकों को ऑनलाइन संदर्भ पावती संख्या का एक प्रिंट आउट ले जाना होगा और ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र का अंतिम प्रिंट आउट लेने के लिए निकटतम स्टॉक होल्डिंग शाखा में जाना होगा। नोट: नागरिकों को वास्तविक बैंक और भुगतान गेटवे शुल्क वहन करना होगा।

ई-स्टाम्प कैसे सत्यापित करें?

होमपेज पर आपको 'Verify e-stamp' नाम का एक विकल्प मिलेगा। जारी रखने के लिए उस पर क्लिक करें। बस राज्य, प्रमाणपत्र संख्या, स्टांप शुल्क का प्रकार, जारी करने की तिथि और सत्र आईडी दर्ज करें और 'सत्यापित करें' पर क्लिक करें।

ई-स्टैम्पिंग क्या है और क्या यह कानूनी है?
ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी नहीं की जाएगी।
आप ई-स्टाम्प अनुरोध के रद्द होने के बाद उसके लिए धनवापसी तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब आप किसी एसएचसीआईएल कार्यालय से संपर्क करते हैं।

महाराष्ट्र में, स्टांप शुल्क का भुगतान ऑनलाइन SHCIL के माध्यम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित बैंक ट्रेजरी रसीद (eSBTR) -एक ऑनलाइन भुगतान सेवा के माध्यम से किया जा सकता है।
ई-स्टैम्पिंग के बारे में नवीनतम अपडेट
ई – बंगलौर में फ्रैंकिंग को बदलने के लिए मुद्रांकन

यदि कर्नाटक राज्य सरकार योजना के अनुसार जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्पिंग (ई – स्टाम्पिंग) अनिवार्य होगी। इससे दस्तावेजों की भौतिक फ्रैंकिंग पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह देखते हुए कि सभी आवेदकों को, ई – स्टाम्पिंग के मामले में, एक विशिष्ट प्रमाणपत्र संख्या दी जाती है, धोखाधड़ी की संभावना शून्य है। पंजीकरण विभाग की राय है कि कर्नाटक में राजस्व बहुत अधिक हो सकता है, अगर खामियों को दूर किया जा सकता है और ई-स्टैम्पिंग को अनिवार्य किया जा सकता है।

त्रिवेंद्रम में ई-स्टांपिंग पर रोक

त्रिवेंद्रम में, जल्दबाजी में कार्यान्वयन के कारण गड़बड़ियों के बाद, पूरी तरह से ई-स्टैम्पिंग में स्थानांतरित करने की योजना को रोक दिया गया है। कर सचिव के एक आदेश के अनुसार, 1 फरवरी, 2021 से ई-स्टैम्पिंग को अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि, 1 लाख रुपये से कम मूल्य के ई-स्टैम्प जेनरेट करने के प्रावधान को अद्यतन नहीं किया गया था। कोषागार विभाग का पोर्टल, जिससे वेंडर व जनता असंतुष्ट है। पिछले तीन साल से प्रदेश में एक लाख रुपये और उससे अधिक के स्टांप पेपर पर ई-स्टांपिंग अनिवार्य है।

ई-स्टैम्पिंग से अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में लागत बचाने में मदद मिलती है
पंजीकरण महानिरीक्षक, जम्मू-कश्मीर ने पुष्टि की है कि ई-स्टैम्पिंग को अपनाने के लिए धन्यवाद, 35 करोड़ रुपये, 18 सितंबर, 2020 से बचाए गए थे। यह राशि लीकेज को भरने के अलावा स्टैंप पेपर की छपाई पर खर्च की गई थी। और स्टाम्प शुल्क संग्रह में प्रभावकारिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

सामान्य प्रश्न

क्या ई-स्टांपिंग किफायती है?

हां, ई-स्टांपिंग किफायती है। उदाहरण के लिए, आप उच्च मूल्य के स्टाम्प पेपर खरीद सकते हैं और सेवा के लिए बैंकों द्वारा एक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। यदि आप ई-स्टांपिंग का विकल्प चुनते हैं, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।

मैं स्टाम्प प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

नागरिकों को दो कार्य दिवसों के भीतर कूरियर के माध्यम से एक ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
क्या एसएचसीआईएल पर उपयोगकर्ता पंजीकरण निःशुल्क है?
हाँ, यह पूरी तरह से मुफ़्त है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

Direct Benefit Transfer

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उद्देश्य सीधे लोगों के बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करना है। भारत सरकार ने क्रेडिट ट्रांसफर में लीकेज और देरी को कम करने के लिए Direct Benefit Transfer की यह योजना शुरू की। सरकार का उद्देश्य उन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को लाभ पहुंचाना है, जो केंद्रीय योजनाओं के तहत हैं।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इतिहास

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। पहले यह केवल 20 जिलों में शुरू किया गया था, जो केवल छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को कवर करते थे।

जयराम रमेश, जो भारत के ग्रामीण विकास के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और N. किरण कुमार रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे , ने पूर्वी गोदावरी जिले में गोलपोरोलु में डीबीटी (DBT) योजना का उद्घाटन किया। 6 जनवरी 2013 को इसका उद्घाटन किया गया था।

15 जनवरी 2013 को डीबीटी (DBT) के लिए पहली समीक्षा का निर्णय लिया गया। पी। चिदंबरम के अनुसार इस समीक्षा में, डीबीटी (DBT) की योजना 1 फरवरी 2013 तक 11 और जिलों के साथ-साथ अन्य 12 जिलों में शुरू की जाएगी।

यह CPSMS के माध्यम से हुआ था और इन योजनाओं का वर्चस्व सभी स्थानान्तरणों का 83% था। ये योजनाएँ थीं जन सुरक्षा योजना और छात्रवृत्ति।

हालाँकि इस समीक्षा में यह स्थापित किया गया है कि डीबीटी (DBT) से जुड़ी योजनाओं के लिए कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड की कमी रोलआउट में बाधा थी। 39.76 लाख लाभार्थियों में से जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत कवर किया जाना चाहिए था, सिर्फ 56% के पास बैंक खाते थे जबकि 25.3% के

पास बैंक खाते और आधार संख्या दोनों थे। इसके अलावा केवल 9.62% बैंक खाते आधार संख्या से जुड़े थे।

डीबीटी (DBT) की संरचना

डीबीटी (DBT) का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण से मध्य संरचना को खारिज करने के साथ-साथ पारदर्शिता लाना है। इन Direct Benefit Transfer योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक सीधे अपने खातों में अपनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। डीबीटी (DBT) के अनुसार, सामान्य प्लेटफ़ॉर्म सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम या CPSMS है, जिसे लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

PSMC का उपयोग डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के साथ-साथ बैंक खातों में भुगतान के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। इसके अलावा लाभार्थी सूची की ग्राउंडिंग के लिए PSMS का उपयोग किया जाता है।

डीबीटी (DBT) के बारे में कुछ रूचिपरक बातें

- सन 2021 के शुरुआत तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भारत सरकार ने कुल 1471000 करोड़ रुपये से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में जमा किया
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 2021 में 274 करोड़ को पार कर चुकी है
- डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कारण करप्शन में काफी कमी आई है और लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाला लाभ सीधे उनके अकाउंट तक पहुंच पा रहा है, बीच में होने वाले करप्शन को पूरी तरह खत्म किया जा चुका है
- भारत सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 316 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

डीबीटी (DBT) खाता क्या है?

डीबीटी (DBT) खाता किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए सब्सिडी लाभ सीधे जनता के बैंक खातों में स्थानांतरित करना है।

मैं अपने डीबीटी (DBT) खाते की जाँच कैसे करूँ?

एटीएम, माइक्रो एटीएम या किसी बैंक मित्रा का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने डीबीटी (DBT) खाते की जांच कर सकता है। इसके अलावा बैंक आपके बैंक खाते में लेनदेन होने पर एसएमएस अलर्ट भेजता है।

डीबीटी (DBT) क्रेडिट क्या है?

भारत सरकार के बैंक खातों में सब्सिडी ट्रांसफर करने के तंत्र को बदलने के लिए 1 जनवरी 2013 को डीबीटी (DBT) लॉन्च किया गया। सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से सब्सिडी ट्रांसफर करती है जो जनता के लिए सरकार का एक क्रेडिट है।

मैं अपना डीबीटी (DBT) बैंक खाता कैसे बदल सकता हूँ?

आधार के साथ डीबीटी (DBT) बैंक खाते को बदलने के लिए व्यक्ति को अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। डीबीटी (DBT) खाते को बदलने के लिए किसी को वांछित बैंक के लिए विधिवत भरा ग्राहक सहमति फॉर्म जमा करना होगा।

डीबीटी (DBT) शिक्षा में क्या है?

शिक्षा में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) एक प्रकार का अध्ययन है जो यूपीसी में सरकारी स्कूल के छात्रों को इन-तरह के लाभों के वितरण पर आयोजित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में स्वचालन, डिजिटल प्रमाणीकरण और डिजिटलीकरण द्वारा मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार करने की समझ का निर्माण किया गया आदि।

डीबीटी (DBT)) के लिए एनपीसीआई (NPCI) क्या है?

NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया जो भारत में सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए छाते की तरह है। एनपीसीआई ने 150 मिलियन से अधिक बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ा है जो 170 मिलियन से अधिक के डीबीटी (DBT) खातों की संख्या के निकट है।